## राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 114वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 114वीं बैठक दिनांक 02/09/2021 को 03:00 बजे श्री भोगी लाल सरन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. समीर बाजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री सुब्रत साहू, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–1** **28/06/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 113वीं बैठक दिनांक 28/06/2021 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–2** **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 380वीं, 381वीं, 382वीं, 383वीं एवं 384वीं बैठक क्रमशः दिनांक 23/07/2021, 24/07/2021, 30/07/2021, 31/07/2021 एवं 02/08/2021 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों, कन्सट्रक्शन परियोजना एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्रीमती बेरली पोन्नाचन (पेण्ड्रीतराई डोलोमाईट माईन), ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1593)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202957/2021, दिनांक 11/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/04/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/6(पार्ट), 21/7, 21/8 एवं 21/9, कुल क्षेत्रफल–1.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 36,581.25 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 371वीं बैठक दिनांक 28/05/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21/05/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 23/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स नयनपुर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न (प्रो.– श्री जगमोहन प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (राचिवालय का नस्ती क्रमांक 1592)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 202918/2021, दिनांक 10/03/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल – 1.98 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,725.6 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,33,150 नग) प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 05/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 05/05/2021 एवं 01/06/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 24/03/2021 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक (4 माह) तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि प्रकरण को नस्तीबद्ध / निरस्त किया जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**3. मेसर्स श्री फनेन्द्र कुमार जैन (सालिक–झिटिया फ्लेग स्टोन माईन), ग्राम–सालिक झिटिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1543)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी/ एमआईएन/ 182971/2020, दिनांक 29/01/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सालिक झिटिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 66/2, कुल क्षेत्रफल–0.688 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–8,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फनेन्द्र कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 14/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 24/03/2021, 05/05/2021 एवं 01/06/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ई) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 22/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 5 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।

2. समिति की बैठक दिनांक 11/02/2021 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक (लगभग 6 माह) तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि प्रकरण को नस्तीबद्ध / निरस्त किया जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को नस्तीबद्ध / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**4. मेसर्स देवडोंगर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अतुल गोयल), ग्राम–देवडोगर, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1437)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 178704/2020, दिनांक 24/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवडोगर, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 342, कुल क्षेत्रफल–1.67 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अतुल गोयल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 342, कुल क्षेत्रफल – 1.67 हेक्टेयर, क्षमता – 18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 962/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 11/09/2016 से 31/03/2017 | 17,900 |
| 2017–18 | 18,000 |
| 2018–19 | 17,900 |

| | |
|---|---|
| 2019-20 | 15,000 |
| 2020-21 | निरंक |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीह खुर्द का दिनांक 15/11/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/तीन–6/ख.लि./2016/552 रायपुर, दिनांक 02/02/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 561/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 28/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.218 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 561/ख.लि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मरघट, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री अतुल गोयल के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षो अर्थात् दिनांक 18/11/1986 से 17/11/1991 तक थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 18/11/1991 से 17/11/1996 तक, लीज का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 18/11/1996 से 17/11/2001 तक, लीज का तृतीय नवीनीकरण दिनांक 18/11/2001 से 17/11/2006 तक, लीज का चतुर्थ नवीनीकरण दिनांक 18/11/2006 से 17/11/2011 तक एवं लीज का पंचम नवीनीकरण दिनांक 18/11/2011 से 17/11/2016 तक की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 18/11/2016 से 31/03/2020 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया गया था।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – पूर्व स्वीकृत खनिपट्टा के 5 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 328/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 08/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/2583 राजनांदगांव, दिनांक 23/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 551 से 3.8 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवडोंगर 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–चवरढ़ाल 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–चवरढ़ाल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। तालाब 0.5 कि.मी., शिवनाथ नदी 21 कि.मी. एवं मनघटा आरक्षित वन 8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,34,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,96,000 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,66,400 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,968 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 18,000 | छष्टम | 18,000 |
| द्वितीय | 18,000 | सप्तम | 18,000 |
| तृतीय | 18,000 | अष्टम | 18,000 |
| चतुर्थ | 18,000 | नवम | 18,000 |
| पंचम | 18,000 | दशम | 18,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 12 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,968 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से उत्तरी दिशा में 675 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई, पश्चिमी दिशा में 285 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई, पूर्वी दिशा में 325 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई एवं दक्षिणी दिशा में 140 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में क्रशर हेतु ब्लॉक रिजर्व की गणना का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व

की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 561/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 28/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.218 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–देवडोंगर) का रकबा 1.67 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–देवडोंगर) को मिलाकर कुल रकबा 9.888 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB In order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has be done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

**5. मेसर्स श्री गिरीश देवांगन (सेमरा बी सेण्ड माईन, ग्राम–सेमरा (बी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), ग्राम–चर्रा, तहसील–कुरुद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1366)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 165951/2020, दिनांक 27/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/09/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सेमरा (बी), तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में है। उत्खनन खारून नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–19,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में

न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 05/11/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 06/11/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरीश देवांगन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरा(बी) का दिनांक 09/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 308/ खनिज/ उत्ख.यो.अनु./ रेत/ 2020–21 कांकेर, दिनांक 07/07/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1018/खनि/न.क्र./2020 धमतरी, दिनांक 01/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1087/खनिज/न.क्र./2020 धमतरी, दिनांक 23/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री गिरीश देवागंन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 198/खनिज/निविदा/2020 धमतरी, दिनांक 04/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वैध एल.ओ.आई. की प्रति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सेमरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुरूद 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 224 मीटर, न्यूनतम 99 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 726 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 52 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 15 मीटर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 19,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत सेमरा(बी) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता– 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–धमतरी द्वारा दिनांक 07/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1498/खनिज/उत्ख.मात्रा/2020 धमतरी, दिनांक 15/09/2020 के अनुसार वर्ष 2018–19 में 6,340 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 224 मीटर, न्यूनतम 99 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी 15 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 25 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 6,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल/एनीकट अपस्ट्रीम/ डाउनस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर एवं 250 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 300 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 14,200 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 20,200 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.98 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

15. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता है। उक्त भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4359/खनि02/रेत(रूल7)/न.क्र. 38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
2. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 720 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 33 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2021 एवं 30/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(इ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1027/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020-21 कांकेर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 42.9 | 2% | 0.85 | Following activities at Nearby Government High School, Village-Semra | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.15 |
| | | | Plantation | 0.16 |
| | | | **Total** | **0.86** |

3. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –

   i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 22 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

   ii. पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल/एनीकट अपस्ट्रीम/ डाउनस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर एवं 250 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 300 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 17,020 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 20,020 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.99 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। खारून नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–सेमरा(बी)) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री गिरीश देवांगन, सेमरा बी सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–चर्रा, तहसील–कुरुद, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 20,020 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.99 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित

रखते हुए, कुल 19,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

7. आवेदक द्वारा प्री–मानसून 2021 का सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री गिरीश देवांगन, सेमरा बी सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–चर्रा, तहसील–कुरुद, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 20,020 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.99 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 19,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**6. मेसर्स श्री नरेश कुमार अग्रवाल (डोभापानी आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–डोभापानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1573)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /200119/2021, दिनांक 28/02/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डोभापानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 590/512, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,506 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 14/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ.ज्ञापन क्रमांक 257/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 258/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 259/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/3705/खनिज/उ.प./डोभापानी/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री विष्णु प्रसाद के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/भा.चि./5740 बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/09/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 0.89 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोभापानी 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–डोभापानी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,34,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,69,830 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,61,338 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,525 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,185.5 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 13,507 |
| द्वितीय | 13,507 |
| तृतीय | 13,507 |
| चतुर्थ | 13,507 |
| पंचम | 13,507 |

**आगामी वर्षों की उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| छष्टम | 13,507 |
| सप्तम | 13,507 |
| अष्टम | 13,507 |
| नवम | 13,507 |
| दशम | 13,507 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 880 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 40.4 | 2% | 0.81 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Dobhapani | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.15 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.25 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.10 |
| | | | Total | 0.85 |

प्रस्ताव का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं पेय जल हेतु प्रस्तुत अनुमानित राशि कम प्रतीत होती है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में वृक्ष स्थित है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में कुल 5–6 वृक्ष है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। अनुमोदित माईनिंग प्लान में वृक्षों का उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त को समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 761/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर कुल 15 नग (महुआ 8 नग, आम 1 नग, परसा 5 नग एवं बांस 1 नग) पौधे अवस्थित है। आवश्यकता अनुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
2. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित कुल 15 नग पौधो का उल्लेख करके अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत डूभापानी का दिनांक 26/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:--**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 258/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–डोभापानी) का रकबा 1.24 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–डोभापानी) को मिलाकर कुल रकबा 2.46 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री नरेश कुमार अग्रवाल (डोभापानी आर्डिनरी स्टोन क्वारी) की ग्राम–डोभापानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 590/512 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर, क्षमता – 13,506 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री नरेश कुमार अग्रवाल (डोभापानी आर्डिनरी स्टोन क्वारी) की ग्राम–डोभापानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 590/512 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर, क्षमता – 13,506 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**7. मेसर्स श्री संजय कुमार साहू (तिवरागुड़ी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट), ग्राम–तिवरागुड़ी, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1426)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 179556/2020, दिनांक 20/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तिवरागुड़ी, तहसील–रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 2451, कुल क्षेत्रफल – 1.46 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,140.95 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,51,974 नग) प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तिवरागुड़ी का दिनांक 25/01/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3538/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 03/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1378/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 22/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1378/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री संजय कुमार साहू के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/06/2018 से 15/06/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री प्रभुदयाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5028 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मकरंदीपुर 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–मकरंदीपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल रामानुजनगर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। झिंक नदी 12.65 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 22,755 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 20,479 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 559.9 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा (किल्न) स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 40 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 18 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|
| प्रथम | 1,140 |
| द्वितीय | 1,140 |
| तृतीय | 1,140 |
| चर्तुथ | 1,140 |
| पंचम | 1,140 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|
| छष्टम | 1,140 |
| सप्तम | 1,140 |
| अष्ठम | 1,140 |
| नवम | 1,140 |
| दशम | 1,140 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 279 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 129 नग पौधे आगामी मानसून के पूर्व रोपित किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 2451, कुल क्षेत्रफल–1.46 हेक्टेयर, क्षमता– 9,51,974 नग प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक

06/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 378/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 22/12/2020 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (नग) |
|---|---|
| 2017 | निरंक |
| 2018 | निरंक |
| 2019 | 7,50,000 (1,470.58 घनमीटर) |

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 38 | 2% | 0.76 | Following activities at Government Primary School, Village – kudelipara tiwaragudi | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation with fening | 0.20 |
| | | | Total | 0.80 |

16. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान क्षमता – 9,51,974 नग प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 06/02/2018 को जारी की गई है। इसके परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 22/12/2020 अनुसार वर्ष 2019 में 7,50,000 नग ईंट का उत्पादन किया जाना बताया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पूर्व में खदान से कितनी मात्रा में खनिज का उत्खनन किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को विगत वर्षो में किए गए उत्खनन (वित्तीय वर्ष) की वास्तविक मात्रा (मिट्टी उत्पादन) की जानकारी पूर्व में दिये गये विवरण अनुसार खनिज विभाग से प्राप्त संशोधित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 977/खनिज/20 सूरजपुर, दिनांक 01/04/2021 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | वास्तविक मिट्टी उत्खनन (घनमीटर) | वास्तविक ईंट उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| 2019 | 900 | 7,50,000 |
| 2020 | निरंक | निरंक |

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1378/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 22/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–तिवरागुड़ी) का रकबा 1.46 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री संजय कुमार साहू (तिवरागुड़ी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट) की ग्राम--तिवरागुड़ी, तहसील--रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 2451 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.46 हेक्टेयर, क्षमता – 1,140 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,51,974 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक -- मेसर्स श्री संजय कुमार साहू (तिवरागुड़ी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट) की ग्राम–तिवरागुड़ी, तहसील -रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 2451 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.46 हेक्टेयर, क्षमता -- 1,140 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,51,974 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. **मेसर्स अविनाश डेवल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (मारूति लाईफ स्टाईल टावर), ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1305)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस / 153845/2020, दिनांक 21/05/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/3, 158/2, 159 (162/1), 160/1, 162/2, 163/2, (168/2–3, 169/2–3, 163/3), 172/4, (173/4), एवं 174/4 (175/4), प्लॉट एरिया–1.07 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–25,727.57 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:--**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रियंक सिंघानिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल– 25,727.57 वर्गमीटर का है, जिसमें त्रुटिवश बेसमेंट पार्किंग एरिया 5,266 वर्गमीटर का समावेश नहीं हुआ है। जबकि प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,266 वर्गमीटर) है। संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अनुमोदित विकास अनुज्ञा में भी बेसमेंट पार्किंग एरिया 5,266 वर्गमीटर का उल्लेख है। अतः आवेदित प्रकरण पर प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,266 वर्गमीटर) के पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम शहर रायपुर 5.3 कि.मी., रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर 1.25 कि.मी. एवं ए.आई.आई.एम.एस. (AIIMS) रायपुर अस्पताल 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 14.75 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.7 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स अविनाश डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S. No. | Particulars | Ground Coverage (In $m^2$) | Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | All Building Ground Coverage | 2,782.00 | 29.28 |
| 2. | Internal Roads and Pathway | 2,822.03 | 29.71 |
| 3. | Open Parking | 1,065.97 | 11.22 |
| 4. | Open Area | 1,683.44 | 17.72 |
| 5. | Plantation | 1,146.56 | 12.07 |
| | **Total** | **9,500.00** | **100.00** |

शेष क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर को सबस्टेशन की स्थापना किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दिया जाना प्रस्तावित है।

5. बिल्टअप एरिया संबंधी विवरण –

| Particulars | Commercial | Block "A" | | Block "B" | Block "C" | Block "D" (LIG) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ---- | LIG | | | | |
| Ground Floor | 372.42 | --- | --- | — | --- | — | 372.42 |
| 1st Floor | 436.4 | 574 | --- | 574 | 569.73 | 304 | 2,458.13 |
| 2nd Floor | 544 | 574 | --- | 574 | 569.73 | 304 | 2,565.73 |
| 3rd Floor | 544 | 574 | --- | 574 | 569.73 | 304 | 2,565.73 |
| 4th Floor | 544 | 574 | — | 574 | 569.73 | 304 | 2,565.73 |
| 5th Floor | 544 | 574 | — | 574 | 569.73 | 304 | 2,565.73 |
| 6th Floor | --- | 574 | --- | 574 | 569.73 | 304 | 2,021.73 |
| 7th Floor | --- | 574 | --- | 574 | 569.73 | 304 | 2,021.73 |
| 8th Floor | --- | 574 | --- | 574 | 569.73 | --- | 1,717.73 |
| 9th Floor | --- | 574 | --- | 574 | 569.73 | --- | 1,717.73 |
| 10th Floor | --- | 574 | --- | 574 | 569.73 | — | 1,717.73 |
| 11th Floor | --- | 447.56 | 114.64 | 574 | 569.73 | --- | 1,705.93 |
| 12th Floor | --- | 457.55 | 114.64 | 574 | 585.33 | --- | 1,731.52 |
| **Total** | **2,984.82** | **6,645.11** | **229.28** | **6,888** | **6,852.36** | **2,128** | **25,727.57** |
| **Basement Parking** | --- | --- | --- | — | — | — | **5,266** |
| **Total** | — | --- | --- | — | — | — | **30,993.57** |

6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / 46465 / नग्रानि / प्रिभि.एफएआर / पी.एल.65 / 18 / 2019 रायपुर, दिनांक 06 / 12 / 2019 अनुसार आवसीय (निगमित) प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग अनुमानित कुल 2,050 व्यक्तियों (आवासीय 940 व्यक्तियों एवं कॉमर्शियल 1,110 व्यक्तियों) द्वारा किया जाना बताया गया है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाएगा।

10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों को भू–भराव हेतु उपयोग किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा। परियोजना से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु

तीन कलर बिन/बैग पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 689.55 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 417.75 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 203.85 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 67.95 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। एकत्रित अपशिष्ठ को अपवहन हेतु नगर निगम, रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में कन्सट्रशन फेज 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 222 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 98 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाइकल वॉटर हेतु 124 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति परियोजना हेतु नगर निगम, रायपुर से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 159.8 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 200 घनमीटर प्रतिदिन, स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस, इक्विलाइजेशन टैंक, एयर ब्लोअर, मूविंग बेड बायोरिएक्टर एण्ड ट्यूब सेटलर, क्लोरीन डोसिंग, क्लेरीफाईड वाटर स्टोरेज, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा ट्रिटेड वॉटर स्टोरेज आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 144 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जाएगा। फ्लशिंग हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लिनिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, वेहिक्ल वॉशिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, हार्टिकल्चर हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं एच.व्ही.ए.सी. हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। शेष 20 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का निस्तारण ड्रेन में किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical **assessment** unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू–जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू–जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – कुल रनऑफ 5,018 घनमीटर होगा। उक्त रनऑफ को रिचार्ज करने हेतु 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। प्रत्येक बिल्डिंग / ब्लॉक में 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर एवं पार्किंग एरिया में 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसप्रकार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 11 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 2 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर) निर्मित किया जाएगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 1,600 मेगावॉट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 150 के.व्ही.ए. एवं 1 नग 100 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 3 मीटर (सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना हेतु 1,146.56 (12.07 प्रतिशत) वर्गमीटर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (Rs. in lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (Rs. in lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (Rs. in lakh) |
| 3500 | 2.0% | 70 | Following Activities at Nearby Govt. school Mahoba Bazar and Old age home | |
| | | | Rain Water Harvesting, Potable drinking water, Running water facility for Toilets, Plantation & Solar lighting System | 70.00 |
| | | | **Total** | **70.00** |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. राक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/11/2020 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 347वीं बैठक दिनांक 11/11/2020:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। भवन निर्माण अनुज्ञा का आवेदन नगर पालिक निगम, रायपुर में विचारधीन होना बताया गया है। जिसमें 30 से 45 दिन का समय लगना संभावित है।

2. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किये जाने का प्रस्ताव किया गया है:-

   i. 13 स्कूलों तथा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के 5 विभागों के भवनों पर रूफ-टॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किये जाने हेतु रूपये 33.93/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

   ii. 13 स्कूलों में आर.ओ. आधारित पीने योग्य पानी रूपये 28/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

   iii. स्कूलों में पर्यावरणीय जन जागरूकता हेतु रूपये 1.5/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

   iv. 6 स्कूलों में सोलर पैनल की व्यवस्था किये जाने हेतु रूपये 6.5/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

   इस प्रकार कुल रूपये 70/- लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

3. समिति का मत था कि रायपुर क्षेत्र के स्कूलों में सोलर पैनल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। स्कूलों में आर.ओ. आधारित पीने योग्य पानी का प्रस्ताव किया गया है जो कि उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार स्कूलों में प्रस्तावित रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गणना केवल रूफ एरिया के आधार पर की गई है, जबकि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गणना स्कूलों के पूर्ण क्षेत्रफल (रूफ एरिया एवं ओपन एरिया) को शामिल करते हुये किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल/कॉलेज के फोटोग्राफ्स एवं कार्य किये जाने की अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2020, 06/01/2021 एवं 03/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2021 को जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसमें Mahoba Bazar-From Railway under pass to Hotel Piccadilly, Tatibandh Mukti Dham and Kabir Nagar-Near Ekta Chowk क्षेत्रों में ऑक्सीजोन विकास, एवेन्यु वृक्षारोपण कार्य एवं रायपुर नगर निगम कार्यालय में 20 किलोवॉट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाये जाने का प्रस्ताव है। पूर्व में समिति के समक्ष प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव से उक्त प्रस्ताव भिन्न है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश सिंघानिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तावित कार्यों में अनुमानित खर्च अत्यधिक बताई गई है। साथ ही प्रस्तावित कार्यों में वृक्षारोपण भी बहुत कम क्षेत्र में किया जाना बताया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था** कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर नवीन सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ई) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि नवीन सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया गया है:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 3500 | 2% | 70 | Following Activities at Nearby Govt. schools in Mohaba Bazar and Pt. R.S.S.U. | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 36.00 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with Water Tank | 09.75 |
| | | | Running water facility for Toilets | 03.90 |
| | | | Deepening and Cleaning of Pond | 18.12 |
| | | | Plantation | 04.23 |
| | | | **Total** | **72.00** |

प्रस्तावित सी.ई.आर. का कार्य (1) शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला, वार्ड नं. 23, (2) शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, वार्ड नं. 02, (3) शासकीय उच्च माध्यमिक शाला, रामनगर बस्ती, (4) शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, भवानी नगर कोटा, (5) पंडित रामसहाय मिश्रा उच्चतर माध्यमिक शाला, मोहबा बाजार, (6) रोटरी कोसमो प्राथमिक शाला, डूमर तालाब, (7) शासकीय कन्या शाला, चौबे कॉलोनी, (8) सखाराम दुबे मुनिसिपल स्कूल, नियर वंदना ऑटो, (9) पंडित रवि शंकर शुक्ल युनिवर्सिटी (i. आर्ट्स बिल्डिंग, ii. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिकस, iii. सुंदर लाल शर्मा लाईब्रेरी, iv. साइंस बिल्डिंग), (10) शासकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शाला, भटगांव, (11) शासकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शाला, रायपुरा, (12) रवि शंकर शुक्ल, कुकुरबेडा, (13) शासकीय स्कूल, हीरापुर एवं (14) शासकीय स्कूल, गोगांव में किया जाएगा। साथ ही मोहबा बाजार के तालाब का गहरीकरण एवं सफाई का कार्य भी किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. मेसर्स अविनाश डेवल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (मारूति लाईफ स्टाईल टावर), ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/3,

158/2, 159 (162/1), 160/1, 162/2, 163/2, (168/2–3, 169/2–3, 163/3), 172/4, (173/4), एवं 174/4 (175/4), प्लॉट एरिया–1.07 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,266 वर्गमीटर) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 हेतु जारी अधिसूचना एस.ओ. 1357(अ) दिनांक 08/04/2016 जारी किया गया है, जिसके अनुसार अपशिष्ट उत्पादक को निम्न का पालन करना आवश्यक है:–

"i. All resident welfare and market association shall partnership with the local body, ensure segregation of waste at source by the generator as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting of bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.

ii. All gated communities and institutions with more than 5,000 sqm area shall partnership with the local body, ensure segregation of waste at source by the generator as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting of bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body."

विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स अविनाश डेवल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड (मारूति लाईफ स्टाईल टावर), ग्राम–कोटा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/3, 158/2, 159 (162/1), 160/1, 162/2, 163/2, (168/2–3, 169/2–3, 163/3), 172/4, (173/4), एवं 174/4 (175/4), प्लॉट एरिया–1.07 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,266 वर्गमीटर) हेतु ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को शर्त के रुप में शामिल करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**8. मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला–जशपुर**

**प्रस्ताव का विवरण** – यह खदान ग्राम–आरा, तहसील व जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 1324/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–6,793.7 टन प्रतिवर्ष की है। लीज श्री अक्षय कुमार मिश्रा के नाम पर थी।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 10/11/2020 को मेसर्स श्री अक्षय कुमार मिश्रा (ग्राम–आरा, तहसील व जिला–जशपुर), तहसील व जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला–जशपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 271/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 06/11/2020 के अनुसार प्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1324/1, कुल क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर, क्षमता – 6,793.7 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3932/ख.लि.–2/2016 रायगढ़, दिनांक 31/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर) |
|---|---|
| 2017 | 2,050 |
| 2018 | 1,950 |
| 2019 | 400 |
| 09/2020 | 145 |

4. खनि अधिकारी, जिला–जशपुर के द्वारा मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर लीज अंतरण (Lease Transfer) के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा नामांतरित (Lease Transfer) के संबंध में अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

**(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर को प्रकरण की मूल नस्ती प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नंदकिशोर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री विवेक साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. खनि निरीक्षक द्वारा प्रकरण की मूल नस्ती का अवलोकन कराया गया।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण दिनांक 23/03/2017 को किया गया। तत्समय माईनिंग प्लान की अवधि वैध होने के कारण माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण अनभिज्ञता के कारण नहीं कराया गया। संज्ञान में आने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. वर्तमान में रिवाइज्ड क्वारी प्लान मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन) के नाम पर तैयार कर प्रस्तुत की गई है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1848/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो. /2020 सरगुजा, दिनांक 04/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 6,48,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,89,852 टन है। लीज क्षेत्र में क्रशर 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने के संबंध स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के तहत् वृक्षारोपण किया जाना था, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में 7.5 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में 70–80 नग एवं पहुंच मार्ग में 800 नग वृक्षारोपण किया गया है।
3. लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,981 वर्गमीटर होता है। जिसमें 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में कम से कम 1,500 नग वृक्षारोपण पूर्ण कर, फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार 1,500 नग पौधों का रोपण पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि मेसर्स श्री अक्षय कुमार मिश्रा (ग्राम–आरा, तहसील व जिला–जशपुर), तहसील व जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला–जशपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स श्री अक्षय कुमार मिश्रा (ग्राम–आरा, तहसील व जिला–जशपुर), तहसील व जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व

जिला–जशपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

**10. मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री निर्मल अग्रवाल), प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1489)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 186594/2020, दिनांक 09/12/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 214605/2020, दिनांक 10/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 39,000 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एव 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल अग्रवाल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पैराग्राफ क्रमांक 8, 9 (पेज नम्बर 5), पैराग्राफ क्रमांक 3 (पेज नम्बर 11) एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पैराग्राफ क्रमांक V(ii) (पेज नम्बर 14) तथा पैराग्राफ क्रमांक VI(i) (पेज नम्बर 14) में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। जो निम्नानुसार है:–

| ई.सी. का संदर्भ (1) | ई.सी. आदेश में विवरण (2) | ई.सी. में वांछित संशोधन (3) |
|---|---|---|
| ई.सी. पेज नम्बर–5' 'पैराग्राफ क्रमांक–8 | यह क्षमता विस्तार दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के प्रथम चरण के अंतर्गत वर्तमान में स्थापित इंडक्शन फर्नेस को डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पूर्व से स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में कार्य घंटे में वृद्धि कर (1 शिफ्ट से 3 शिफ्ट कर) एवं वार्षिक कार्य दिवस 300 से 330 दिन करते हुए क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष किया जाएगा। | यह क्षमता विस्तार दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के प्रथम चरण के अंतर्गत वर्तमान में स्थापित इंडक्शन फर्नेस को डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पूर्व से स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से **वर्तमान में कार्यरत रोलिंग मिल की उत्पादन क्षमता यथावत् रखकर 21,000 टन प्रतिवर्ष रखी जाएगी। जिसका संचालन एक पाली में किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त 36,800 मी.टन क्षमता की एक नई रोलिंग मिल लगाकर इसके संचालन हेतु री–हीटिंग फर्नेस से माल गरम कर के दूसरी–तीसरी पाली में किया जाएगा। इस प्रकार री–रोल्ड स्टील उत्पादन 57,800 टन प्रतिवर्ष किया जाएगा। तदानुसार नई रोलिंग मिल का संचालन वर्तमान स्थापित बिलेट री–हीटिंग फर्नेस से ही दूसरी एवं तीसरी पाली में किया जाएगा।** |
| | अतिरिक्त रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस की क्षमता में वृद्धि की जावेगी। उक्त क्षमता के संचालन के पूर्व वर्तमान में स्थापित वेट स्क्रबर की दक्षता का उन्नयन कर पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित रि–हीटिंग फर्नेस का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रति टन रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु आवश्यक | अतिरिक्त रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जाएगी। उक्त क्षमता के संचालन के पूर्व वर्तमान में स्थापित वेट स्क्रबर की दक्षता का उन्नयन कर पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित री–हीटिंग फर्नेस के ऊर्जा दक्षता का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रति टन रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु आवश्यक |

| | | |
|---|---|---|
| | कोयले की मात्रा 160 किलोग्राम से घटकर 120 किलोग्राम होगी। जिस हेतु निम्नानुसार उन्नयन कार्य प्रस्तावित है:– | कोयले की मात्रा 160 किलोग्राम से घटकर 120 किलोग्राम होगी। जिस हेतु निम्नानुसार उन्नयन कार्य प्रस्तावित है:– |
| ई.सी. पेज नम्बर–5' 'पैराग्राफ क्रमांक–9 | क्षमता विस्तार के द्वितीय चरण में दो वर्ष के भीतर इण्डक्शन फर्नेस (6 टन गुणा 4 नग) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष के स्थापना का कार्य पूर्ण कर हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 36,800 टन प्रतिवर्ष की स्थापना की जाएगी। तदोपरांत पूर्व से स्थापित री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल की क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष रखी जाएगी। फलस्वरूप द्वितीय चरण के उपरांत प्रतिदिन कोयले की खपत में कमी होगी। | क्षमता विस्तार के द्वितीय चरण में दो वर्ष के भीतर इंडक्शन फर्नेस (6 टन X 4 नग) क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष **माईल्ड स्टील बिलेट (हॉट मेटल)** उत्पादन के स्थापना का कार्य पूर्ण कर **इस हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग के द्वारा प्रथम चरण में स्थापित नई (दूसरी) रोलिंग मिल के द्वारा 36,800 टन रि–रोल्ड प्रोडक्ट प्रतिवर्ष बनाया जाएगा।** तदोपरांत पूर्व से स्थापित री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल की क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष ही रहेगी। **फलस्वरूप द्वितीय चरण के उपरांत 36,800 टन री–रोल्ड स्टील को री–हीटिंग फर्नेस में गर्म नहीं करने कारण प्रतिदिन** कोयले की खपत में कमी होगी।<br><br>**द्वितीय चरण के उपरांत रि–रोल्ड स्टील उत्पादन की कुल क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष ही होगी, जिसमें से 21,000 टन प्रतिवर्ष बिलेट री–हिटींग फर्नेस से तथा 36,800 टन प्रतिवर्ष डायरेक्ट हॉट चार्जिंग से उत्पादन किया जाएगा।** |
| ई.सी. पेज नम्बर–11' पैराग्राफ–3 प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार | उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/02/2021 को संपन्न 106वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल | उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/02/2021 को सम्पन्न 106वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग |

| | | |
|---|---|---|
| | – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।<br><br>तदानुसार हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत् क्षमता विस्तार के तहत री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्टस क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्टस क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रू हाट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू बिलेट्स रिहीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरण स्वीकृति निम्ननिलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। | स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराइज्ड कोल आधारित रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष **के अतिरिक्त 36,800 मी.टन क्षमता का एक नई रोलिंग मिल होगी, जिससे रि–रोल्ड स्टील बनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम चरण में बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित कुल 57,800 टन प्रतिवर्ष रि–रोल्ड स्टील उत्पादन होगा। प्रथम चरण में इण्डक्शन फर्नेस का उत्पादन शून्य होगा** तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष होगी **(जिसमें से** 36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रू हाट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू बिलेट्स री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।<br><br>तदानुसार हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता 21,000 टन प्रतिवर्ष **के अतिरिक्त 36,800 मी.टन क्षमता की एक नई रोलिंग मिल लगाकर कुल 57,800 टन प्रतिवर्ष, तदुपरांत द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **बिलेट क्षमता 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स** क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रू हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रू बिलेट्स री–हीटिंग फर्नेस बेस्ड आन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरण स्वीकृति निम्ननिलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। |
| **EC Page No. 14 Para-V, ii** | ii. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). In first Phase the capacity of Rolling Mill shall be increased only by increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days). No additional reheating furnace(s) shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnaces of rerolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed Induction furnace(s) as per proposal submitted. | ii. Ensure installation of **High efficiency Pulverized fuel burners along with waste heat recuperators** in reheating furnace. In first Phase the capacity of Rolling Mill shall be increased by **implementation of an additional new rolling mill and by** increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days) **in existing Billet Reheating Furnace, along with improvement in fuel energy efficiency**. No additional reheating furnace**(s)** shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnaces of rerolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed induction furnace(s) as per proposal submitted **before starting the new additional rolling mill of 36800 TPA.** |
| **EC Page No. 14 Para-VI, i** | **VI. Waste Management**<br>i. The capacity expansion shall be achieved by increasing number of heats per day and number of working days only. No new induction furnace(s) and rolling mill shall be installed. | **(Point i. needs to be deleted.)** |

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित प्रस्ताव एवं प्रस्तुतीकरण में दिये गये तथ्यों तथा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की तथ्यों में भिन्नता होने के कारण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।
2. परियोजना के कार्यकलापों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्तों के संशोधन / विलोपन किये जाने की अनुशंसा की गई:–

1. बिन्दु क्रमांक 1 में कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित संशोधन को मान्य किया गया।
2. निम्न शर्त का संशोधन किया जाए:–

"शर्त क्रमांक V(ii) Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). In first Phase the capacity of Rolling Mill shall be increased only by increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days). No additional reheating furnace(s) shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnaces of rerolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed Induction furnace(s) as per proposal submitted."

**के स्थान पर**

"शर्त क्रमांक V(ii) Ensure installation of <u>high efficiency pulverized fuel burners along with waste heat recuperators</u> in existing reheating furnace. In first phase the capacity of Rolling Mill shall be increased by <u>implementation of an additional new rolling mill and</u> by increasing the number of working shifts (i.e. 1 to 3 shift) and working days (i.e. 300 to 330 days) <u>in existing Billet Reheating Furnace, along with improvement in fuel energy efficiency</u>. No additional reheating furnace shall be installed. The project proponent shall use pulverised coal in the existing reheating furnace of rolling mill. The project proponent shall dismantle the already installed induction furnace as per proposal submitted before starting the new additional rolling mill of 36800 TPA.

In the second phase, industry shall install induction furnaces (6 Tonne X 4 Nos.) to produce total hot metal (hot billets) 38,640 TPA and this hot metal shall be used in new rolling mill installed during first phase to produce rolled products of capacity 36,800 TPA through hot charging process. Hence, after implementation of second phase, industry shall produce rolled product of capacity 21,000 TPA through billet reheating furnace and rolled products of capacity 36,800 TPA through hot charging process. Total production of rolled products shall not be more than 57,800 TPA."

3. शर्त क्रमांक VI(i) "The capacity expansion shall be achieved by increasing number of heats per day and number of working days only. No new induction furnace(s) and rolling mill shall be installed." का विलोपन किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

**11. मेसर्स श्री जितेन्द्र चंद्राकर (कंदई डोलोमाईट माईन), ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1702)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 214520/2021, दिनांक 11/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 307, 308 एवं 310, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र चंद्राकर, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कंदई का दिनांक 29/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2326/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(1) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 251/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.293 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 251/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 4103/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 12/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4818 दुर्ग, दिनांक

19/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कंदई 1.2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–कंदई 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। तालाब 0.7 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 85,846 टन एवं रिकव्हरेबल 77,262 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,961 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,624 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 29 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 3,000 |
| द्वितीय | 3,000 |
| तृतीय | 3,000 |
| चतुर्थ | 3,000 |
| पंचम | 3,000 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| षष्टम | 3,000 |
| सप्तम | 3,000 |
| अष्टम | 3,000 |
| नवम | 3,000 |
| दशम | 2,951 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के मध्य भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 162 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 35 | 2% | 0.70 | Following activities at Nearby Government Primary school, **Village-Kandal** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation with fencing | 0.10 |
| | | | **Total** | **0.70** |

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 251/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.293 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कंदई) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कंदई) को मिलाकर कुल रकबा 4.293 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से

500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी--2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री जितेन्द्र चंद्राकर (कंदई डोलोमाईट माईन) की ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 307, 308 एवं 310 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री जितेन्द्र चंद्राकर (कंदई डोलोमाईट माईन) की ग्राम–कंदई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 307, 308 एवं 310 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता -- 3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**12. मेसर्स देवरी ब्रिक (अर्थ क्ले) माईन (प्रो.– श्री रमेश कुमार साहू), ग्राम – देवरी, तहसील – बलौदाबाजार, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1703)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर -- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 214523/2021, दिनांक 11/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम- देवरी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार--भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1866/1 एवं 1877, कुल क्षेत्रफल–2.108 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार साहू, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश फार्म–2 में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया है। अतः आवेदित प्रकरण पर प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के लिए अनुरोध किया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवरी का दिनांक 21/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.) जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2367/2/खनि/मिट्टी/उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3638/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 06/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 01/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3731/खनिज/उ.प./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 10/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री लक्ष्मेन्द्र के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल बलौदाबाजार 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी., तांदुला एवं शिवनाथ नदी 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 42,160 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 33,593 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 693 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 2,105 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 16.79 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की

आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 2,000 |
| द्वितीय | 2,000 |
| तृतीय | 2,000 |
| चतुर्थ | 2,000 |
| पंचम | 2,000 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| षष्टम | 2,000 |
| सप्तम | 2,000 |
| अष्टम | 2,000 |
| नवम | 2,000 |
| दशम | 2,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर रॉ–मेटेरियल स्टॉक यार्ड एवं ऑफिस के निर्माण हेतु 1,142 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 50 | 2% | 1.0 | Following activities at Government Primary & Middle Schools, Village-Devari | |
| | | | Rain Water Harvesting | 0.75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | System | |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.15 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.10 |
| | | | Total | 1.00 |

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 3638/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–देवरी) का रकबा 2.108 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स देवरी ब्रिक (अर्थ क्ले) माईन (प्रो.– श्री रमेश कुमार साहू) की ग्राम–देवरी, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 866/1 एवं 1877 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–2.108 हेक्टेयर, क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स देवरी ब्रिक (अर्थ क्ले) माईन (प्रो.– श्री रमेश कुमार साहू) की ग्राम–देवरी, तहसील– बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 866/1 एवं 1877 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–2.108 हेक्टेयर, क्षमता – 2,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

13. **मेसर्स एग्रोडेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–देवपुरा, तहसील–पण्डरिया, जिला–कवर्धा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1706)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 63764/2021, दिनांक 12/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–देवपुरा, तहसील–पण्डरिया, जिला–कवर्धा स्थित कुल क्षेत्रफल – 11.74 हेक्टेयर (29 एकड़) में मोलासेस बेस्ड/ ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी प्लांट क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट क्षमता -- 2 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग रुपए 150 करोड होगा।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 23/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना एस.ओ. 2339(ई), दिनांक 16/06/2021 के अनुसार यह परियोजजना सेड्यूल 5(जी ए) के अंतर्गत आता है। अतः इस नवीन ई.आई.ए. अधिसूचना के आधार पर संशोधित आवेदन किये जाने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. **मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1707)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63791/2021, दिनांक 16/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1806 एवं 1807, कुल क्षेत्रफल–0.3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,952.425 टन (780.97 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि खदान की वर्तमान में आयु मात्र 2 वर्ष तक होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**15. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1708)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63768/2021, दिनांक 16/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1885, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1885, कुल क्षेत्रफल – 0.45 हेक्टेयर, क्षमता – 579 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता संबंधी विसंगतियों के परिपेक्ष्य में निम्न तथ्य परिलक्षित हो रहे है:–

   - प्रस्तुत क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक

1926/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 01/10/2016 द्वारा अनुमोदित है, जिसमें उत्खनन क्षमता -- 1,447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष का उल्लेख है।

- जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के विषय एवं कार्यवाही विवरण/निर्णय में आवेदित उत्खनन क्षमता – 579 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख है।
- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 3 में "खदान से गौण खनिज फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 559.5 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।" का उल्लेख है।
- उपरोक्त के संदर्भ में समिति टंकन त्रुटि प्रतीत होना मानते हुये आवेदित उत्खनन क्षमता – 579 घनमीटर प्रतिवर्ष को मान्य कर प्रकरण पर विचार किया गया।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 14/06/2021 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2017 | निरंक |
| 2018 | 474 |
| 2019 | 991 |
| 2020 | 545 |

vi. वर्ष, 2019 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन करने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो अपठनीय है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1926/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 01/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 839/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.48 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस

सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला--महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 839/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्रीमती सीमा चतुर्वेदी के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 01/07/2009 से 30/06/2019 तक थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी के नाम पर किया गया है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 01/07/2019 से 30/06/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री देवेन्द्र, कुमारी करिश्मा, कुमारी अंजना (पालक – श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी) के नाम पर है। चूंकि श्री देवेन्द्र, कुमारी करिश्मा, कुमारी अंजना नाबालिग है तथा सबके पालक आवेदक है अतः उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–अछोली 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 80,040 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 18,430 टन एवं रिकव्हरेबल 13,822 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,827 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 1,200 |
| द्वितीय | 1,237 |
| तृतीय | 1,275 |
| चतुर्थ | 1,369 |
| पंचम | 1,399 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| षष्टम | 1,406 |
| सप्तम | 1,425 |
| अष्टम | 1,432 |
| नवम | 1,436 |
| दशम | 1,448 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 348 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग में 100 नग पौधे रोपित किये गये है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में से 700 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिंग प्लान में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 1,827 वर्गमीटर होना बताया गया है, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी

का क्षेत्रफल 1,390 वर्गमीटर है। उपरोक्त विसंगतियों के परिपेक्ष्य में स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

18. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 25वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–1 सेक्टर) दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके प्रकरण क्रमांक 25.2 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगानगर इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, दुबुरी, जिला–जजपुर (ओड़िशा) के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक आईए/ओआर/आईएनडी/128148/2016 दिनांक 21/09/2016 पर विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया:–

"25.2.4 Based on the EAC recommendations, the file was processed wherein the Competent Authority of MoEF&CC observed that the instant case is beyond the applicability of S.O. 804 (e) dated 14/03/2017 and directed to adopt the following principle in all cases where violation is suspected or alleged.

i. Send the matter to the Sector EAC for consideration of the case on merit.
ii. Take action against the alleged violation as per law.
iii. Do not wait for either the evidence of action having been started or violation proceedings to finish before taking up the case on merit.
iv. The EC If given after consideration on merit would be valid from the date it is given and not with retrospective effect. For the period before it, if violation is established by the court or the competent authority, the punishment/penalty as per law would be imposed."

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति के 10वीं बैठक (इण्डस्ट्रीज–3) दिनांक 18 से 19 मई, 2021 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जिसके एजेण्डा क्रमांक 10.1 में मेसर्स संस्कार केमिकल्स एण्ड ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अम्मूर, ग्राम–चेट्टीथंगल, तहसील–वालाजाह, जिला–वेल्लोर (रानीपेट), तमिलनाडु पर विचार कर निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया:–

"The Member Secretary informed the Committee that the Competent Authority in the Ministry, in a related case (of M/s Tata Steel Limited, Odisha, F. No. J-11011/7/2006-IA-II(I)), has observed and directed that the case is beyond the applicability of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and should be considered by EAC as normal project. He also informed the

Committee that the Competent Authority in the Ministry has also directed to follow the procedure adopted in the case of M/s Electrosteel Ltd (F.No.L-11011/188/2017-IA.II(I)(Pt)) for consideration of such cases. It was also directed in the F. No. 2/8/2021-IA.III, to consider such cases of violation for grant of ToR/EC, if there is no specific stay by the Hon'ble Courts on consideration of such projects."

19. उपरोक्त उल्लघंन के प्रकरणों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ अकंन समिति द्वारा विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर विशेषज्ञ अकंन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा इस प्रकरण पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.36 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—अछोली) का रकबा 0.57 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 22.93 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:—

"The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

5. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

v. Project proponent shall submit the readable copy of Gram Panchayat NOC (with date) for mining purpose.

vi. Project proponent shall submit the copy of lease deed extension and lease transfer.

vii. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

viii. Project proponent shall submit previous year production details (in financial year) from mining department.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

xi. Project proponent shall clarify the non mining area of 7.5 meter.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

xiii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xiv. Project proponent shall do the fencing of the mine boundry with RCC pillars and barbed wire. We shall complete restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery where previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xvi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation. EMP should include all the mines under the cluster.

xvii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xviii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xix. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xx. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लिखा जाए।

**16. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कोमन लाल साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1709)**

**ऑनलाईन आवेदन** -- प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63920 / 2021, दिनांक 16 / 06 / 2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 84 / 1, 2, 3, 4, 85 एवं 89 / 2, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,140 टन (456 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24 / 07 / 2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कोमन लाल साहू, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 84 / 1, 2, 3, 4, 85 एवं 89 / 2, कुल क्षेत्रफल – 0.57 हेक्टेयर, क्षमता -- 456 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 09 / 05 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 08 / 05 / 2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15 / 06 / 2021 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2018 | निरंक |
| 2019 | 146 |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 02/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन- 6/2017/3793 रायपुर, दिनांक 22/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.36 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री कोगन लाल साहू के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/09/2017 से 11/09/2047 तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–अछोली 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। महानदी 0.85 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 85,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 10,380 टन एवं रिकव्हरेबल 7,785 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 705 |
| द्वितीय | 877 |
| तृतीय | 979 |
| चतुर्थ | 1,054 |
| पंचम | 1,140 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| षष्टम | 705 |
| सप्तम | 720 |
| अष्टम | 776 |
| नवम | 810 |
| दशम | 739 |

**नोट:** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 1,070 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं लीज एरिया में 200 नग पौधे रोपित किये गये है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,500 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 600 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry Irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सड़क की तरफ 728 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

**a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

**b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 843/क/खनि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 15/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.36 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 0.57 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 22.93 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौगिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./इ.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

v. Project proponent shall submit the copy of lease deed.

vi. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

x. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has be done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित

उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

**17. मेसर्स श्री नीरज गंगवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1710)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 215540/2021, दिनांक 17/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2, कुल क्षेत्रफल–1.37 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 29,723.18 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवेन्द्र चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोजी का दिनांक 03/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला- उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 160/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 728/खनिज/ख.लि./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.84 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल

खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 725/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/561/खनिज/पत्थर/उत्ख.पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक 25/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1118/1 श्री डोगन राम एवं खसरा क्रमांक 1118/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/1178 धमतरी, दिनांक 03/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोजी 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–गोजी 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। महानदी 2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,16,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 2,10,624 टन एवं रिकव्हरेबल लगभग 1,89,561 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,977.34 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 25,176 |
| द्वितीय | 27,029 |
| तृतीय | 28,159 |
| चतुर्थ | 27,469 |
| पंचम | 22,832 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| षष्टम | 29,723 |
| सप्तम | 23,953 |
| अष्टम | 9,980 |
| नवम | 8,739 |
| दशम | 7,564 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 1,250 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के कुछ भाग की चौड़ाई कम होने के कारण लगभग 191 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. लीज क्षेत्र के उत्तरी दिशा के कुछ क्षेत्र में 37 मीटर की चौड़ाई होना बताया गया। समिति का मत है कि उक्त क्षेत्र के दोनों तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई छोड़े जाने पर 22 मीटर की चौड़ाई शेष होगी जिसमें से 6 मीटर की गहराई तक ही उत्खनन कार्य किया जा सकेगा। अतः उक्त के संबंध में संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 728/खनिज/ख.लि./2021 धमतरी, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम गोजी) का रकबा 1.37 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोजी) को मिलाकर कुल रकबा 13.01 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./इ.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   v. Project proponent shall submit the revised approved mining plan as mentioned above.

   vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.

   vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   ix. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

   x. Project proponent shall complete the plantation of 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

   xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

**18. मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मधरानी), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1652)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 212141/2021, दिनांक 13/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 421, कुल क्षेत्रफल–1.94 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,002.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय मधरानी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनपाल का दिनांक 31/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक क्र. 11/खनिज/उ.यो./2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 09/04/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1077/खनिज/खनि. 4/05/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.25 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर

अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1077/खनिज/ख.लि.4/05/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** — भूमि आवेदक के नाम पर है; एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 861/खनिज /ख.लि.4/ 05/2020–21 /खनिज /उ.प. /2021 जगदलपुर, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./2699 जगदलपुर, दिनांक 30/07/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा संरक्षित वन क्षेत्र से 1 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम–टिकनपाल 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–टिकनपाल 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मारकण्डी नदी 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** — जियोलॉजिकल रिजर्व 9,45,750 टन, माईनेबल रिजर्व 5,00,025 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,50,022 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,456 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 19.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर तथा कुल मात्रा 13,334 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.1

डेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 50,002 |
| द्वितीय | 50,002 |
| तृतीय | 50,003 |
| चतुर्थ | 50,003 |
| पंचम | 50,002 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| षष्ठम | 50,002 |
| सप्तम | 50,003 |
| अष्टम | 50,003 |
| नवम | 50,003 |
| दशम | 50,002 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1077/खनिज/ख.लि.4/05/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.25 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) का रकबा 1.94 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) को मिलाकर कुल रकबा 5.19 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   v. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

   vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   viii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

   ix. Project proponent shall complete the plantation of 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

   x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई रहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

**19. मेसर्स चंगोरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री सुभाष चक्रधारी), ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1714)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 216265/ 2021, दिनांक 28/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1018, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1080, 1081 एवं 1085, कुल क्षेत्रफल–1.79 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,100 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 21,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष कुमार गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 24/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2861/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 462/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदान, क्षेत्रफल 3.15 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 462/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 136/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक

19/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 1018, 1069/2, 1072, 1085 श्रीमती कौशिल्या देवी चक्रधारी एवं खसरा क्रमांक 1068, 1069/1, 1070, 1071, 1073, 1074, 1076, 1080, 1081 श्री शिवलाल चक्रधारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/344 दुर्ग, दिनांक 20/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा से वन क्षेत्र से 26 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम–चंगोरी 1.8 कि.मी., स्कूल ग्राम चंगोरी 1.6 कि.मी. एवं अस्पताल चंगोरी 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 35,800 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 30,850 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.065 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.3 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| प्रथम | 2,100 | 21,00,000 |
| द्वितीय | 2,100 | 21,00,000 |
| तृतीय | 2,100 | 21,00,000 |
| चतुर्थ | 2,100 | 21,00,000 |
| पंचम | 2,100 | 21,00,000 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| षष्टम | 2,100 | 21,00,000 |

| | | |
|---|---|---|
| सप्तम | 2,100 | 21,00,000 |
| अष्टम | 2,100 | 21,00,000 |
| नवम | 2,100 | 21,00,000 |
| दशम | 2,100 | 21,00,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 325 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला से लगभग 2 टन से 2.5 टन ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड एवं हॉल रोड के निर्माण हेतु किया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 31.8 | 2% | 0.63 | Following activities at Government Middle & Primary School, **Village-Changori** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation | 0.10 |
| | | | **Total** | **0.70** |

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 482/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदान, क्षेत्रफल 3.15 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) का रकबा 1.79 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) को मिलाकर कुल रकबा 4.94 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स चंगोरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो:- श्री सुभाष चक्रधारी) की ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1018, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1080, 1081 एवं 1085 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.79 हेक्टेयर, क्षमता – 2,100 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चंगोरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री सुभाष चक्रधारी) की ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 1018, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1080, 1081 एवं 1085 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.79 हेक्टेयर, क्षमता – 2,100 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।
परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**20. मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1720)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 217759/ 2021, दिनांक 02/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित सर्वे क्रमांक 248/3, 248/8 एवं 248/11, कुल क्षेत्रफल – 0.983 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 3.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश गौर, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से एम.एस. बार्स एण्ड रॉड्स, एम.एस. एंगल, क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 18/07/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/06/2024 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–सरोरा 0.68 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी 4.14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है। खारून नदी 6 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Mill Area | 3,751.6 | 38.20 |
| 2. | Finished Good Area | 460.24 | 4.80 |
| 3. | Raw Material Yard | 500.63 | 5.10 |
| 4. | Parking Area | 480.51 | 4.90 |
| 5. | Road Area | 685.36 | 6.80 |
| 6. | Greenbelt Area | 3,951.66 | 40.20 |
| | **Total** | **9,830** | **100** |

4. **रॉ–मटेरियल –**

| S.No | Input | TPA | Source | Transport |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rolling Mill** | | |
| 1. | Billets | 59,900 | Open Market | By Road (through covered trucks) |

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. | Unit | Re-heating Rolling Mill | Reheating Rolling Mill |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Products | Steel structures – 30,000 TPA | Re-rolled products – 59,900 TPA |

**Note: Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.**

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु रूफबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है: यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में एम.एस. बार्स एण्ड रॉड्स, एम.एस. एंगल के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 18.3 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 55 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 19,710 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 400 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 180 लीटर प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल गैसीफायर से उत्पन्न सिण्डर / राख का उपयोग भूमि भराव एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 12 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जानी प्रस्तावित है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता (25 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 12/11/2023 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3,819 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 7,230 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,372 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 19,710 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष रखा जाएगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 580 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा

तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.259 हेक्टेयर (26.4 प्रतिशत) क्षेत्र में 311 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.395 हेक्टेयर (40.2 प्रतिशत) क्षेत्र में 672 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड के यूनिट–1 एवं यूनिट–2 के मध्य फेंसिंग की गई है। यूनिट–1 एवं यूनिट-2 के मध्य कम से कम 8 मीटर (फेंसिंग से 4–4 मीटर दोनों तरफ) चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Additional Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 350 | 2% | 7.0 | Following activities at 4 Nearby Government Schools | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 4.66 |
| | | | Potable Drinking Water Facility With 3 years AMC | 1.05 |
| | | | Running Water Facility | 1.20 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.75 |
| | | | **Total** | **7.66** |

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक एवं सेकेण्डरी शाला ग्राम–सरोरा, शासकीय शाला ग्राम–उपाहरा, शासकीय शाला ग्राम–राईता तथा शासकीय शाला ग्राम–निलजा में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के तहत् परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 2,700 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 3,819 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। सागर रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.2 की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार

विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित सर्वे क्रमांक 248/3, 248/8 एवं 248/11, कुल क्षेत्रफल – 0.983 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित सर्वे क्रमांक 248/3, 248/8 एवं 248/11, कुल क्षेत्रफल – 0.983 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**21. मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II), ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1721)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 217765/ 2021, दिनांक 02/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित सर्वे क्रमांक 248/3(पी) एवं 248/8(पी), कुल क्षेत्रफल – 0.728 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 3.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश गौर, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से टी.एम.टी. बार्स, एंगल, चैनल, री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल

एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 24/11/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता 31/12/2021 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–सरोरा 0.88 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी 4.14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है। खारून नदी 8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (In SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Mill Area | 2,800.6 | 38.47 |
| 2. | Finished Good Area | 340.24 | 4.67 |
| 3. | Raw Material Yard | 409.63 | 5.63 |
| 4. | Parking Area | 380.51 | 5.23 |
| 5. | Road Area | 435.02 | 5.98 |
| 6. | Greenbelt Area | 2,914 | 40.02 |
| | **Total** | **7,280** | **100** |

4. **रॉ–मटेरियल –**

| S.No | Input | TPA | Source | Transport |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rolling Mill** | | |
| 1. | Billets | 59,900 | Open Market | By Road (through covered trucks) |

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. | Unit | Re-heating Rolling Mill | Reheating Rolling Mill |
| 2. | Products | Steel structures – 30,000 TPA | Re-rolled products – 59,900 TPA |

**Note:** Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। प्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में टी.एम.टी. बार्स, एंगल, चैनल, री–रोल्ड के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 18.3 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 55 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 19,710 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 400 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 180 लीटर प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल गैसीफायर से उत्पन्न सिण्डर / राख का उपयोग भूमि भराव एवं सडक निर्माण में किया जाता है। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 12 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में यूनिट–1 में स्थापित बोरवेल से जल की आपूर्ति की जा रही है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परिसर के भीतर बोरवेल से जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी में आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर

प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू- जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 5,075 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 7,230 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6,372 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 19,710 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष रखा जाएगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 580 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

17. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** -- वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.198 हेक्टेयर (27.19 प्रतिशत) क्षेत्र में 287 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के शेष 0.291 हेक्टेयर (40.02 प्रतिशत) क्षेत्र में 441 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड के यूनिट–1 एवं यूनिट–2 के मध्य फेंसिंग की गई है। यूनिट–1 एवं यूनिट–2 के मध्य कम से कम 8 मीटर (फेंसिंग से 4–4 मीटर दोनों तरफ) चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

11. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Additional Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 350 | 2% | 7.0 | Following activities at 4 Nearby Government Schools | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 4.58 |
| | | | Potable Drinking Water Facility With 3 years AMC | 1.40 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.60 |
| | | | Plantation with Fencing | 1.00 |
| | | | **Total** | **7.58** |

प्रस्तावित कार्य शासकीय उच्च माध्यमिक शाला ग्राम–सरोरा, शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–कपसदा, शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–गुमा तथा शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–बेन्दी में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 3175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के तहत् परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

12. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-III(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' कैटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

'Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates.'

14. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

15. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 2,700 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 5,075 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.2 की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा।) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-II), ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित सर्वे क्रमांक 248/3(पी) एवं 248/8(पी), कुल क्षेत्रफल – 0.728 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स गौं कुदरगढ़ी स्टील प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II), ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित सर्वे क्रमांक 248/3(पी) एवं 248/8(पी), कुल क्षेत्रफल – 0.728 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**22. मेसर्स वेंकटेश्वर स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1724)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 218841/2021, दिनांक 05/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 655(बी), 656, 686(ए) एवं 687, कुल क्षेत्रफल – 0.65 हेक्टेयर में रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 27,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण महेश्वरी, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से एम.एस. बार, एच.आर. स्ट्रीप्स, स्टील ट्यूब्स एण्ड पाईप्स, एम.एस. एंगल, चैनल, फ्लैट, स्क्वैर, गेट चैनल, राउण्ड, हिंजेस, बट स्ट्रीप्स, सेप्स एण्ड सेक्शन, सी.आर. स्ट्रीप्स एवं सी.आर. ट्यूब्स एण्ड पाईप्स क्षमता 27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/04/2021 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता 30/06/2026 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 0.75 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 7. | Rolling Mill Area | 2,501.21 | 38.46 |
| 8. | Finished Good Area | 300 | 4.61 |
| 9. | Raw Material Yard | 380 | 5.84 |
| 10. | Parking Area | 370 | 5.69 |
| 11. | Road Area | 350 | 5.38 |
| 12. | Greenbelt Area | 2,602 | 40.02 |
| | **Total** | **6,503.21** | **100** |

4. **रॉ–मटेरियल –**

| S.No | Input | Quantity | Source | Transport |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Rolling Mill** | |
| 2. | Billets | 59,900 TPA | Open Market | By Road (through covered trucks) |

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| 3. | Unit | Reheating Rolling Mill | Reheating Rolling Mill |
| 4. | Products | Re-rolled products – 27,500 TPA | Re-rolled products – 59,900 TPA |

**Note**: Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में एम.एस. बार,

एच.आर. स्ट्रीप्स, स्टील ट्यूब्स एण्ड पाईप्स, एम.एस. एंगल, चैनल, फ्लैट, स्क्वैर, गेट चैनल, राउण्ड, हिंजेस, बट स्ट्रीप्स, सेप्स एण्ड सेक्शन, सी.आर. स्ट्रीप्स एवं सी.आर. ट्यूब्स एण्ड पाईप्स के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 18.3 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 55 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 19,710 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 400 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 180 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 14 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता (25 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 10/01/2024 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 4,534 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 6,900 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6,156 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 580 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.$_2$ की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 3.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.168 हेक्टेयर (25.86 प्रतिशत) क्षेत्र में 248 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.26 हेक्टेयर (40.02 प्रतिशत) क्षेत्र में 402 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** -- परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 300 | 2% | 6.0 | Following activities at Nearby 3 Government Schools | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 3.64 |
| | | | Potable Drinking Water Facility With 3 Years AMC | 1.20 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.90 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.75 |
| | | | **Total** | **6.49** |

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–मरवा, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम पडारमाटा एवं शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कुकेरा में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के तहत् परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:--

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 2,100 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 4,534 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.$_2$ की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स वेंकटेश्वर स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 655(बी), 656, 686(ए) एवं 687, कुल क्षेत्रफल – 0.65 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 27,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स वेंकटेश्वर स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 655(बी), 656, 686(ए) एवं 687, कुल क्षेत्रफल – 0.65 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 27,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

23. **मेसर्स वेंकटेश्वर इस्पात लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1726)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 218841/2021, दिनांक 09/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 657, 658, 659, 682, 683, 684, 685 एवं 686/बी, कुल क्षेत्रफल - 1.709 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 3 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण महेश्वरी, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रोलिंग सटर स्ट्रीप्स प्रोफाईल, एच.आर. स्ट्रीप्स, रोक्शन्स, एम.एस. एंगल, चैनल, फ्लैट, स्क्वैर, गेट चैनल, राउण्ड ट्यूब्स एण्ड पाईप्स, स्टील हिंजेस एवं बट सेक्स एण्ड सेक्शन्स क्षमता 29,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/12/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता जारी दिनांक से 12 माह तक थी।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 0.75 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एरा. कॉलोनी 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Mill Area | 6,574.41 | 38.46 |
| 2. | Finished Good Area | 788.04 | 4.61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Raw Material Yard | 998.3 | 5.84 |
| 4. | Parking Area | 972.66 | 5.69 |
| 5. | Road Area | 919.67 | 5.38 |
| 6. | Greenbelt Area | 6,841.08 | 40.02 |
| | **Total** | **17,094.16** | **100** |

4. रॉ–मटेरियल –

| S.No | Input | Quantity | Source | Transport |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rolling Mill** | | |
| 1. | Billets | 59,900 TPA | Open Market | By Road |
| 2. | Lime Stone | 39 TPA | Open Market | By Road |

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. | Unit | Reheating Rolling Mill | Reheating Rolling Mill |
| 2. | Products | Rolling shutters strips profile, H.R. strips, Sections, M.S. angle, Channel, Flat, Squares, Gate Channel, Round Steel Tubes & pipes, Steel Hinges, Butt shapes and Section – 29,500 TPA | Rolling shutters strips profile, H.R. strips, Sections, M.S. angle, Channel, Flat, Squares, Gate Channel, Round Steel Tubes & pipes, Steel Hinges, Butt shapes and Section – 59,900 TPA |

**Note**: Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में रोलिंग सटर स्ट्रीप्स प्रोफाईल, एच.आर. स्ट्रीप्स, सेक्शन्स, एम.एस. एंगल, चैनल, फ्लैट, स्क्वैर, गेट चैनल, राउण्ड ट्यूब्स एण्ड पाईप्स, स्टील हिंजेस एवं बट सेप्स एण्ड सेक्शन्स के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु 18.3 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस. ओ$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित

कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 55 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 19,710 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत रोलिंग मिल से मिल स्केल – 400 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 180 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 15 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता (35 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 14/01/2024 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 14,846 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 7,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7,074 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 580 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं एस.ओ.$_2$ की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 3.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी. जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.488 हेक्टेयर (28.55 प्रतिशत) क्षेत्र में 721 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.684 हेक्टेयर (40.02 प्रतिशत) क्षेत्र में 992 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Additional Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 300 | 2% | 6.0 | Following activities at Nearby 3 Government Schools | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 3.60 |
| | | | Potable Drinking Water Facility With 3 Years AMC | 1.35 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 1.05 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.75 |
| | | | Total | 6.75 |

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–जरौदा, शासकीय शाला ग्राम–डेंडेकला एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पौनी में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के तहत परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

'Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces,

submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 1,800 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 14,846 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्तारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर एवं $SO_2$ की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपयोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स वेंकटेश्वर इस्पात लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 657, 658, 659, 682, 683, 684, 685 एवं 686/बी, कुल क्षेत्रफल – 1.709 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता - 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स वेंकटेश्वर इस्पात लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 657, 658, 659, 682, 683, 684, 685 एवं 686/बी, कुल क्षेत्रफल – 1.709 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**24. मेसर्स प्रगति इंगॉट्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेन्द्री, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1727)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 219921/ 2021, दिनांक 14/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–बेन्द्री, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 196/5, कुल क्षेत्रफल – 1.644 हेक्टेयर में एम.एस. इंगाट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस 3 गुणा 10 टन प्रतिघण्टा) क्षमता – 36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस (4 गुणा 10 टन प्रतिघण्टा) सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत रुपये 6 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद अग्रवाल, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 की अनुसूची के सरल क्रमांक 5(ट) के अनुसार प्रेरण/आर्क भट्टी/कुपोला भट्टी 5 टन प्रतिघंटा या इससे अधिक के परियोजनाओं को तत्समय पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता थी। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि 120 टन प्रतिदिन या इससे ज्यादा (प्रतिवर्ष 330 कार्य दिवस माने जाने पर 39,600 टन प्रतिवर्ष या इससे अधिक) उत्पादन क्षमता होने पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता थी। उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 22/09/2009 को जारी की गई है। अतः तत्समय उद्योग को एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की संशोधित अधिसूचना दिनांक 01 दिसंबर, 2009 द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 की अनुसूची के सरल क्रमांक 5(ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप (Omitted) किया गया है। इस संशोधन अधिसूचना में उपरोक्त के संबंध में निम्न प्रावधान भी किया गया है:– "In case of secondary metallurgical processing industrial units, those projects involving operation of furnaces only such as induction and electric arc furnace, submerged arc furnace, and cupola with capacity more than 30,000 tonnes per annum (TPA) would require environmental clearance." उपरोक्त प्रावधान के संबंध में वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (4 गुणा 10 टन प्रतिघण्टा) सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन किया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 20/11/2017 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/08/2022 तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–चेन्द्री 0.73 कि.मी. एवं शहर रायपुर 6 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.75 कि.मी. दूर है। खारून नदी 5.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (In SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Production Area | 3,200 | 19.46 |
| 2 | Raw Material storage Area | 1,200 | 7.30 |
| 3 | Finished Good Area | 900 | 5.50 |
| 4 | Greenbelt Area | 6,580 | 40.02 |
| 5 | Parking Area | 800 | 4.86 |
| 6 | Area For Future Expansion | 3,760 | 22.86 |
| | **Total** | **16,440** | **100** |

5. **रॉ–मटेरियल –**

| S. No. | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|
| | | **For Billets** | | |
| 1. | Sponge Iron | 46,000 | Open Market | By Road (through covered trucks) |
| 2. | Scrap | 13,000 | Open Market | |
| 3. | Alloys | 900 | Open Market | |
| | | **For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products)** | | |
| 1. | Billets | 59,500 | In-house Billets | Direct Through CCM |

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. | Unit | Induction Furnace - 3 x 10 TPH | Induction Furnace And Rolling Mill (CCM) - 4 x 10 TPH |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Products | MS Ingots / Billets Capacity - 36,000 TPA | Rerolled Product (through hot charge) Capacity - 59,500 TPA |

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 400 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 180 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 18 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 30 घनमीटर जल प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है, भू–जल की उपयोगिता (23 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति ली गई है, जो दिनांक 08/11/2023 तक वैध है। शेष आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 5 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 8,781 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8,784 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7,776 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 580 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.367 हेक्टेयर (22.32 प्रतिशत) क्षेत्र में 658 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.658 हेक्टेयर (40.02 प्रतिशत) क्षेत्र में 987 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 600 | 2% | 12.0 | Following activities at Nearby 6 Government Schools | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 6.83 |
| | | | Potable Drinking Water Facility With 3 Year AMC | 1.75 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 2.00 |
| | | | Plantation with Fencing | 1.50 |
| | | | Total | 12.08 |

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–सण्डी, शासकीय शाला ग्राम–मुरमुंदा, शासकीय शाला ग्राम–चेटुवा, शासकीय शाला ग्राम–नन्दुराई, शासकीय शाला ग्राम–लिमतरा एवं शासकीय शाला ग्राम–खुर्दडीह में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के तहत् परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार सी.ई.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

14. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:

'Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces,

submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates.'

16. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

17. समिति का सर्वसम्मति से यह मत था कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार अर्थात् इण्डक्शन फर्नेस से हॉट मेटल तैयार कर सी.सी.एम. के माध्यम से रोलिंग मिल में फीडिंग (आधुनिक प्रक्रिया हॉट चार्जिंग विधि से) कर रि–रोल्ड के उत्पादन हेतु उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 3,980 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 8,781 घनमीटर जल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा संचय किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्तारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स प्रगति इंगॉट्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेन्द्री, तहसील व जिला रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 196/5, कुल क्षेत्रफल – 1.644 हेक्टेयर में एम.एस. इंगाट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस 3 गुणा 10 टन प्रतिघण्टा) क्षमता – 36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस (4 गुणा 10 टन प्रतिघण्टा) सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स प्रगति इंगॉट्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेन्द्री, तहसील व जिला रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 196/5, कुल क्षेत्रफल – 1.644 हेक्टेयर में एम.एस. इंगाट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस 3 गुणा 10 टन प्रतिघण्टा) क्षमता – 36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस (4 गुणा 10 टन प्रतिघण्टा) सीसीएम विथ हॉट चार्ज

रोलिंग मिल से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता - 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**26. मेसर्स लक्ष्मीकृपा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 1728)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 219924/2021, दिनांक 14/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 578 एवं 596, कुल क्षेत्रफल – 0.559 हेक्टेयर में रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 3 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** -

**(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बाके बिहारी अग्रवाल, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रोलिंग मिल प्रोडक्ट्स, एंगल, राउण्ड, रिब्ड बार, चैनल, स्क्वेयर आदि क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 03/12/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता 31/07/2030 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 0.5 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Mill Area | 2,034.33 | 36.43 |
| 2. | Finished Good Area | 300 | 5.38 |
| 3. | Raw Material Yard | 345.33 | 6.18 |
| 4. | Parking Area | 340 | 6.08 |
| 5. | Road Area | 330 | 5.9 |
| 6. | Greenbelt Area | 2,235 | 40.03 |
| | **Total** | **5,584.66** | **100** |

4. रॉ-मटेरियल –

| S.No | Input | Quantity (TPA) | Source | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rolling Mill** | | |
| 1. | Billets | 59,900 | Open Market | By Road (through covered trucks) |
| 2. | Lime | 39 | Open Market | |

5 स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| | Unit | Reheating Rolling Mill | Reheating Rolling Mill |
| 2. | Products | Rerolled products – 30,000 TPA | Rerolled products – 59,900 TPA |

**Note** Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day and some modification in motors and mill stands of rolling mill.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में रोलिंग मिल प्रोडक्ट्स, एंगल, सरिया, रिब्ड बार, हैन्डल, लैथर आदि के उत्पादन हेतु 10 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि रोल्ड के उत्पादन हेतु 18.3 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 24,000 किग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु स्टैक इन्लेट के पहले लाइम डोजिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 55 प्रतिशत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में

कमी होगी। इस व्यवस्था से $CO_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 19.712 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। धूल्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 400 टन प्रतिवर्ष एवं धूल्ड आयल – 180 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जायेगी।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 15 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर जल प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता (12 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 15/01/2024 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कुल से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना अनिवार्य है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3872 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग

रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें संचित मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि उक्त कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – समाप्ति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 7,950 मि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बैग फिल्टर एवं चैमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित होने जाने से उक्त उत्सर्जन की मात्रा 7,020 मि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी; औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अतः रोलिंग मिल के कूलिंग उपकरण प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 560 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का आयोजन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाना तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 35 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी; वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केव्हीए. क्षमता का डीजी सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.144 हेक्टेयर (25.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 217 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.223 हेक्टेयर (40.23 प्रतिशत) क्षेत्र में 341 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Additional Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 300 | 2% | 6.0 | Following activities at Nearby 3 Government Schools | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rain Water Harvesting System | 3.44 |
| | | | | Potable Drinking Water Facility With 3 Years AMC | 1.05 |
| | | | | Running Water Facility for Toilets | 1.05 |
| | | | | Plantation with Fencing | 0.75 |
| | | | | Total | 6.29 |

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम सिलपट, शासकीय शाला ग्राम गिओगरा एवं शासकीय शाला ग्राम–सरगांव में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8175/गुरुया/छ.प.सं.म./2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के लिए परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार "बी" श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए है, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 80,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(iii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का संज्ञान में यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 1,800 घनमीटर

अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने परिसर में कुल 3,872 घनमीटर वर्षाजल का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। स्थाय रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्तारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से आव्हहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा संयंत्र विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अभिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को 'बी1' श्रेणी के अंतर्गत माना गया, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) के पैरा 7(iii)(a) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मेसर्स लक्ष्मीकृपा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 578 एवं 596, कुल क्षेत्रफल 0.558 हेक्टेयर में रि–हीटिंग कार्बोरिंग रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदे का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मेसर्स लक्ष्मीकृपा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 578 एवं 596, कुल क्षेत्रफल – 0.558 हेक्टेयर में रि–हीटिंग कार्बोरिंग रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**26. मेसर्स अग्रवाल चैनल गिल्स प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतरा, फेस II, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1731)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएन्डी/ 220153/ 2021, दिनांक 15/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतरा, फेस–II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 34 एवं 35, कुल क्षेत्रफल – 2.385 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस सीसीएम विथ एक चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 4.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक के एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बांके बिहारी अग्रवाल, डायरेक्टर वेबिनार कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :-

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से ई-रेल्ड प्रोडक्ट्स (प्रा. लिमिटेड) क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/08/2019 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/05/2024 तक वैध है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम सोन्ड़ा 0.6 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5.6 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्लू.आर.एस. कॉलोनी 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.75 कि.मी. दूर है। खारून नदी 7 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट**

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Induction Furnace Area | 5,100 | 21.3 |
| 2. | Rolling Mill Area | 1,900 | 8 |
| 3. | Finished Good Area | 980 | 4.2 |
| 4. | Raw Material Yard | 1,100 | 4.6 |
| 5. | Parking Area | 950 | 3.71 |
| 6. | Road Area | 1,100 | 4.6 |
| 7. | Greenbelt | 9,585 | 40.01 |
| 8. | Area For Future Expansion | 3,242.4 | 13.55 |
| | **Total** | **23,957.4** | **100** |

4. **रॉ–मटेरियल –**

| S. No. | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode |
|---|---|---|---|---|
| | | **For Billets** | | |
| 1. | Sponge Iron | 46,000 | Open Market | By Road (through covered trucks) |
| 2. | Scrap | 13,000 | Open Market | |
| 3. | Alloys | 900 | Open Market | |

| For Rolling Mill through Hot charging (Re-rolled Products) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Billets | 59 500 | In house billets | Conveyor |

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी :-

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. | Unit | Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 3x10 TPH | Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 4x10 TPH |
| 2. | Production | Rolled products through Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 30,000 TPA | Rolled products through Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 59,500 TPA |
| 3. | Working Hours | 12 Hours/Day | 18 Hours/Day |

**Note:** Capacity expansion shall be achieved by increasing working hours from 12 Hrs per day to 18 Hrs per day, additional one new induction furnace shall install and some modification in CCM / hot charge Rolling Mill.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी रखा गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। हीट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्यूजीटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लैग – 930 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 180 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लैग को स्लैग क्रशिंग इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को बेचा जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 18 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर जल प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** -- औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। इण्डक्शन फर्नेस / रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक

दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रेलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरान्त घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एनबीबीआर तकनीक आधारित स्टेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 5 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जायेगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहत एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 14,087 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जायेंगे कि इनमें सभी मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – वर्तमान प्रस्ता स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9.579 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बैग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से कुल उत्सर्जन की मात्रा 7.128 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 1,080 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अभिवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना सम्भावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। पैकेजिंग व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डीजी सेट एवं एक्सीलेटर इंक्लोजर भी स्थापित है। जिसमें 12 मीटर लंबी चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.888 हेक्टेयर (28.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,146 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 0.958 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,249 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य अगामी 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 450 | 2% | 9.0 | Following activities at Nearby 4 Government Schools | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 5.01 |
| | | | Potable Drinking Water Facility With 3 Year AMC | 1.40 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 1.60 |
| | | | Plantation with Fencing | 1.00 |
| | | | **Total** | **9.01** |

प्रस्तावित कार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–टेंडो, शासकीय शाला ग्राम–कुनरा, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला ग्राम नलपुरी एवं शासकीय शाला ग्राम–लालपुर में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के तहत परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. प्रस्तावित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-III दिनांक 21/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' तथा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (केरल एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं--

'Category B2 -- All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates'

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति को सूचित किया गया कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार अर्थात इण्डक्शन फर्नेस से हॉट मेटल तैयार कर सी.सी.एम. के माध्यम से रोलिंग मिल में फीडिंग (आधुनिक प्रक्रिया हॉट रोलिंग वाले) कर रिजल्ट के उत्पादन हेतु उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी होगा प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 4,200 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिपूर्ति आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 14,097 घनमीटर जल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा संचय किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सरण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (स्थापित कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से निष्पादन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण एनडीएमसी को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने की होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मेसर्स अग्रवाल मैनल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल सेक्टर सिलतरा, फेज II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 34 एवं 35, कुल क्षेत्रफल 2.395 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस स्टीलमेकिंग विथ

हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स अग्रवाल मैनल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतरा, फेस–II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 34 एवं 35, कुल क्षेत्रफल – 2.395 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**27. मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतरा, फेस–II, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1738)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 220699/ 2021, दिनांक 19/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतरा, फेस–II, जिला -रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 103(पार्ट) एवं 104, कुल क्षेत्रफल – 4.046 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 6 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री डी.के. सिन्हा, प्रेसीडेंट विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से इंगाट्स क्षमता 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/09/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 31/07/2024 तक है।
   - पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–अकोली 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** --

| S.No. | Land use | Area (In SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Induction Furnace Area | 6,000 | 14.83 |
| 2. | Rolling Mill Area | 2,200 | 5.42 |
| 3. | Finished Good Area | 1,100 | 2.72 |
| 4. | Raw Material Yard | 1,200 | 2.96 |
| 5. | Parking Area | 1,300 | 3.23 |
| 6. | Road Area | 1,100 | 2.71 |
| 7. | Greenbelt Area | 16,200 | 40.03 |
| 8. | Area for Future Expansion | 11,368.6 | 28.10 |
| | **Total** | **40,468.8** | **100** |

4. **रॉ–मटेरियल** –

| S.No | Input | TPA | Source | Transport |
|---|---|---|---|---|
| | | **For Induction Furnace** | | |
| 1. | Sponge Iron | 46,000 | Open Market | By road (through covered truck) |
| 2. | Scrap | 13,000 | | |
| 3. | Alloys | 900 | | |
| | | **For Rolling Mill** | | |
| 1. | Billets | 59,500 | In-House Billets | Conveyor |

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

| S. No. | Particular | Existing | After Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. | Unit | Induction Furnace - 2 x 10 TPH | Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 3 x 10 TPH |
| 2. | Products | Ingots – 30,000 TPA | Rolled products through Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill – 59,500 TPA |
| 3. | Working Hours | 12 Hours/Day | 18 Hours/Day |

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 32 मीटर की 2 नग ऊंची चिमनी दोनों इण्डक्शन फर्नेस में स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वर्तमान में स्थापित दोनों इण्डक्शन फर्नेस में 1 नग बेग फिल्टर तथा प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस में 1 नग बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वर्तमान में स्थापित दोनों इण्डक्शन फर्नेस को एक ही चिमनी में संयोजित किया जाएगा तथा प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस को वर्तमान में स्थापित दूसरी चिमनी में संयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्थाओं से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 900 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 180 लीटर प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर्स इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 18 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल जल 32 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 5 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 19,420 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 11 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्प्रति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,324 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6,858 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 900 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** - परियोजना हेतु 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी. जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.286 हेक्टेयर (31.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,971 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परिसर के चारों ओर 8 मीटर की चौड़ी पट्टी [1.82 हेक्टेयर (40.03 प्रतिशत) क्षेत्र] में 2,097 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 600 | 2% | 12.0 | Following activities at 6 Nearby Government Schools | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 7.27 |
| | | | Potable Drinking Water Facility With AMC | 1.75 |
| | | | Running Water Facility for Toilet | 2.25 |
| | | | Plantation with Fencing | 1.25 |
| | | | **Total** | **12.52** |

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–मढ़ी, शासकीय शाला ग्राम–निगवा, शासकीय शाला ग्राम–संगुनी, शासकीय शाला ग्राम–भरदा, शासकीय शाला ग्राम–गेरवा एवं शासकीय शाला ग्राम–निपौनारा में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8175/मुख्या./छ.ग.प.सं.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सी.ई.आर. के तहत् परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-III(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत था कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार अर्थात इण्डक्शन फर्नेस से हॉट मेटल तैयार कर सी.सी.एम. के माध्यम से रोलिंग मिल में फीडिंग (आधुनिक प्रक्रिया हॉट चार्जिंग विधि से) कर रि-रोल्ड के उत्पादन हेतु उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 4,200 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 19,420 घनमीटर जल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा संचय किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपघटन करने, जल उपयोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के तहत्, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतरा, फेस–II, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 103(पार्ट) एवं 104, कुल क्षेत्रफल – 4.046 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतरा, फेस–II, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 103(पार्ट) एवं 104, कुल क्षेत्रफल – 4.046 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (इंगाट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस सीसीएम विथ हॉट चार्ज रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता/

59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**28. मेसर्स नारायणपुर बिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो. – श्री सतीश कश्यप), ग्राम–नारायणपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1744)**

**ऑनलाईन आवेदन** - प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220915/ 2021, दिनांक 20/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–नारायणपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 180 एवं 188, कुल क्षेत्रफल–2.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,252 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 21,68,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतीश कश्यप, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 180 एवं 188, कुल क्षेत्रफल – 2.43 हेक्टेयर, क्षमता – 3,500 घनमीटर (ईंट उत्पादन 21,87,500 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 148/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/01/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष | उत्पादन (नग) |
|---|---|
| 2017 | 60,000 |
| 2018 | 6,00,000 |
| 2019 | 3,50,000 |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सोनदाही का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी, इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लानएण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 891/खनिज/खनि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 147/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 147/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री कर्ता राम गुप्ता के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तातरण दिनांक 17/01/2020 को श्री सतीश कश्यप के नाम पर किया गया है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/06/2009 से 01/06/2030 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 180 श्री राजेश, श्री विद्याशंकर, आवेदक एवं खसरा क्रमांक 188 श्री गिरजा शंकर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./1705/2009 अम्बिकापुर, दिनांक 25/05/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नारायणपुर 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–नारायणपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल अम्बिकापुर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.15 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,832 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 32,843 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 32,514

घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.063 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 2,474 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है, एक लाख ईंट निर्माण हेतु 13 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| प्रथम | 3,252 | 21,68,000 |
| द्वितीय | 3,252 | 21,68,000 |
| तृतीय | 3,252 | 21,68,000 |
| चतुर्थ | 3,252 | 21,68,000 |
| पंचम | 3,252 | 21,68,000 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| षष्टम | 3,252 | 21,68,000 |
| सप्तम | 3,252 | 21,68,000 |
| अष्टम | 3,252 | 21,68,000 |
| नवम | 3,252 | 21,68,000 |
| दशम | 3,245 | 21,63,333 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.01 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारो ओर 1 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में टेम्परारी रेस्ट शेल्टर (temporary rest shelter) साईट सर्विस हेतु 200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 13 टन कोयला से लगभग 1 टन ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड एवं हॉल रोड के निर्माण हेतु किया जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 34.23 | 2% | 0.69 | Following activities at Government Primary School Upkapara, Village-Narayanpur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.62 |
| | | | Running Water Facility for Toiltes | 0.15 |
| | | | Plantation | 0.05 |
| | | | **Total** | **0.82** |

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 147/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 13/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–नारायणपुर) का रकबा 2.43 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नारायणपुर बिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री सतीश कश्यप) की ग्राम–नारायणपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 180 एवं 188 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–2.43 हेक्टेयर, क्षमता – 3,252 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 21,68,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स नारायणपुर बिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री सतीश कश्यप) की ग्राम–नारायणपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 180 एवं 188 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–2.43 हेक्टेयर, क्षमता – 3,252 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 21,68,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**29. मेसर्स कुरमाडीह क्वार्ट्ज डिपोजिट (प्रो.– श्री अभिषेक अग्रवाल), ग्राम–कुरमाडीह, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1626)**

**ऑनलाईन आवेदन** - प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 206726 / 2021, दिनांक 28 / 03 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03 / 04 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04 / 06 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित क्वार्ट्ज (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुरमाडीह, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 67 एवं 68, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18 / 06 / 2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरमाडीह का दिनांक 10 / 06 / 2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 355 / जिओ. / क्वारी स्कीम / प्लान नं.43 / 2020 रायपुर, दिनांक 23 / 02 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक / 408 / क / खनि / न.क. / 2021 महासमुंद, दिनांक 08 / 03 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/406/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अभिषेक अग्रवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ3–5/2011/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/05/2020 को जारी की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 68 शासकीय भूमि है एवं खसरा क्रमांक 67 श्री गुनु के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3047 महासमुंद, दिनांक 22/07/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर बसना 20 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुरमाडीह 2 कि.मी. एवं अस्पताल बसना 20 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 11,15,287 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 7,65,293 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 4,59,176 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,980 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.4 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 27 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 16,667 |
| द्वितीय | 25,000 |
| तृतीय | 25,000 |

| | |
|---|---|
| चतुर्थ | 33,333 |
| पंचम | 41,667 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के एक भाग क्षेत्रफल 15,884 वर्गमीटर क्षेत्र में क्वार्टज की उपलब्धता नहीं होने के कारण, उक्त क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 47 | 2% | 0.94 | Following activities at Government Primary School, Village-Kurmadih | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.80 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.20 |
| | | | Running Water Facility for Toilete | 0.20 |
| | | | **Total** | **1.20** |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं कारंजवापारा/गोमर्डा अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के पृ. ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3584 महासमुंद, दिनांक 26/06/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा बारनवापारा अभयारण्य 15.36 कि.मी. (एरियल दूरी) दूर है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/406/क/खनि/ना.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 08/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–कुरमाडीह) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी 2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कुरमाडीह क्वार्ट्ज डिपोजिट (प्रो. श्री अभिषेक अग्रवाल) की ग्राम–कुरमाडीह, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 67 एवं 68 में स्थित क्वार्ट्ज (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर, क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कुरमाडीह क्वार्ट्ज डिपोजिट (प्रो.– श्री अभिषेक अग्रवाल) की ग्राम–कुरमाडीह, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 67 एवं 68 में स्थित क्वार्ट्ज (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर, क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**30. मेसर्स मुकेश धोदी पथरिया लाईम स्टोन माईन (पार्टनर– श्री अशोक बाफना एवं श्री नितेश बाफना), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1665)**

**आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /63389/2021, दिनांक 19/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2021 को लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367 (पार्ट) एवं 320 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.12 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–27,900 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि यह खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए लोक सुनवाई पूर्व में की गई थी। उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदानुसार लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/529/खनि. लि.2/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 के अनुसार "खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए लोक सुनवाई पूर्व में की गई थी।" होना बताया गया है।
2. मेसर्स मुकेश धोदी को स्वीकृत उक्त खदान भी उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को आयोजित थी।
3. समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021 एवं प्राधिकरण की 113वीं बैठक दिनांक 28/06/2021 में लिये गये निर्णय अनुसार ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए जारी किये गये स्टैण्डर्ड टीओआर हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होने के अनुरोध को मान्य किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** एस.ईआई.ए.ए.,छत्तीसगढ़ की 113वीं बैठक दिनांक 28/06/2021 में लिए गये निर्णय उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 845/एस.ई.ए.सी.,छ.ग.

/माईन/1665 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/06/2021 द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए जारी किये गये स्टैण्डर्ड टीओआर में, पूर्व में क्लस्टर हेतु किये गये ई.आई.ए. स्टडी को मान्य किये जाने तथा जारी टीओआर में लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार ई.आई.ए. स्टडी को मान्य किये जाने तथा जारी टीओआर में लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के संबंध में निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**31. मेसर्स गोंडपेण्ड्री लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री उमेश शर्मा), ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 908)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38103/ 2019, दिनांक 24/06/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 214012/ 2021, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5, कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 05/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश शर्मा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंडपेण्ड्री का दिनांक 29/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1235-36/खनि.लि./खनिज/2018 बालोद, दिनांक 12/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 386/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 3 खदानें, क्षेत्रफल 14.73 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 217/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 28/05/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक भौगिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 31/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनि शाखा) दुर्ग के पत्र दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री उमेश शर्मा, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम, 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 श्री महेश शर्मा नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा क्रमांक 318/5 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/3773 दुर्ग, दिनांक 29/08/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल फुण्डा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,16,750 टन, माईनेबल रिजर्व 2,99,860 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,64,474 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं अतिरिक्त 1.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4,652 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोपी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 16,872 घनमीटर में से 11,630 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (9 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण एवं शेष 5,242 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6.5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 45,000 |
| द्वितीय वर्ष | 45,000 |
| तृतीय वर्ष | 45,000 |
| चतुर्थ वर्ष | 45,000 |
| पंचम वर्ष | 45,000 |
| षष्टम वर्ष | 45,000 |
| सप्तम वर्ष | 22,900 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल

गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.20 से 66.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.08 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.0 डीबीए से 54.23 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.3 डीबीए से 43.24 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 06/02/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील-पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 08/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है।

ii. ब्लास्टिंग से आस–पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्रशर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. ब्लास्टिंग कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। ब्लास्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती है। वर्तमान में 3 खदानों को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनमें से 2 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं शेष 1 खदान द्वारा आवेदन अप्राप्त है। शेष 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 2 खदानों द्वारा

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (4 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (5,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,27,910/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षो के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 5,34,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/-- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. गांव के (2 कि.मी.) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (200 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रथम वर्ष एवं आगामी दो वर्षो तक रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 30,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 1,08,23,910/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:--

- प्रथम वर्ष में राशि 35,07,910/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 18,44,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 18,14,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 12,80,000/-- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 7,21,000/ प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,42,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 41,89,000/ व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 10,61,000/ – व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- आगामी चार वर्षों के लिए डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,82,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VI. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenence) हेतु राशि 3,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त 19 खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 31 | 2% | 0.62 | Following activities at nearby Government Middle Schools, **Village-Gondpendry** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.70 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.20 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation | 0.20 |
| | | | **Total** | **1.30** |

23. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अपेंडिक्स–1, फॉर्म–2, प्री–फीजिबीलिटी रिपोर्ट, जारी स्टैण्डर्ड टीओआर, लोक सुनवाई दस्तावेज, फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 318(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5 का उल्लेख किया गया है, जबकि एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान में खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 317/5 का उल्लेख है।

24. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–स्वामित्व दस्तावेज में खसरा क्रमांक 318/5 का उल्लेख नहीं किया गया है तथा भूमि स्वामी द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. उपरोक्त विवरण अनुसार खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 317/5 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश खसरा क्रमांक 318/5 का उल्लेख होना बताया गया है। इस हेतु खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

2. कुल आवेदित क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना बताया गया है। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. भूमि खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4, 317/5 श्री महेश शर्मा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. में भी खसरा क्रमांक 317/5 का उल्लेख है। अतः खसरा क्रमांक 318/5 के स्थान पर खसरा क्रमांक 317/5 पढ़े जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 386/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) का रकबा 1.59 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 36.94 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स गोंडपेण्ड्री लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री उमेश शर्मा) की ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 317/5 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर, क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गोंडपेण्ड्री लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री उमेश शर्मा) की ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 317/5 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर, क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानों में से 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में आने वाले अन्य खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली 19 खदानों को भी शामिल करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से 03 माह के भीतर उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान अनुसार 19 खदानों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**32. मेसर्स श्री विजय कुमार साहू (वी–1, बकालो सेण्ड क्वारी), ग्राम–बकालो, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1530)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 194430/2021, दिनांक 22/01/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बकालो, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1508 एवं 1487, कुल क्षेत्रफल–2.1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गेरूवा नाला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर आदि) की जानकारी जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बकालो का दिनांक 20/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/92/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021/सूरजपुर/153, दिनांक 13/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021/सूरजपुर/153, दिनांक 13/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, मंदिर, मस्जिद, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्गित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विजय कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक /1077/ गौ.ख.रे./रि.ऑ./न.क.20/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./4969 सूरजपुर, दिनांक 06/02/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बकालो 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–बकालो 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 60 कि.मी. दूर है। एनीकट खदान से 508 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है, स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 18 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 872 मीटर, न्यूनतम 868 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 15 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 5 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 42,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 25/11/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 16 | 2% | 0.32 | Following activities at Nearby Government Primary School junapara, Village- Bakalo | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation | 0.15 |
| | | | Total | 0.75 |

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 5 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। अतः खनन क्षेत्र की नदी तट से दूरी नदी की चौड़ाई के अनुरूप 7.5 मीटर छोड़कर गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना को शामिल करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. खनन क्षेत्र को 100 मीटर–100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. माईनिंग प्लान में उपरोक्त के आधार पर संशोधन कराकर, गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. खनन क्षेत्र को 100 मीटर–100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर दिनांक 29/11/2020 को टोटल स्टेशन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
2. रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/944/खनिज/उ.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 23/06/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 5 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 5,824 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.517 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गेरूवा नाला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–बकालो) का रकबा 2.1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेरालाईन डाटा** –

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकडें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बकालो सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री विजय कुमार साहू), खसरा क्रमांक 1508 एवं 1487, ग्राम–बकालो, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 5,824 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.517 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

7. आवेदक द्वारा प्री–मानसून 2021 का सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स बकालो रोप्ड क्वारी (प्रो.– श्री विजय कुमार साहू), खसरा क्रमांक 1508 एवं 1487, ग्राम–बकालो, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 5,824 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.517 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**33. मेसर्स जयरामनगर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री त्रिलोक चंद्र शर्मा), ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1690)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213638/2021, दिनांक 01/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 774/1, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,250 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/08/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिलोक चंद्र शर्मा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 774/1, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर, क्षमता – 5,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बिलासपुर द्वारा दिनांक 30/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/08/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1330/3/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा

श्री मनमोहन शर्मा आ. श्री विशम्बर दयाल शर्मा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री त्रिलोक चंद्र शर्मा के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2833/ख.लि./न.क्र./2021 बिलासपुर दिनांक 16/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वित्तीय वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2010–11 | 3,330 |
| 2011–12 | 3,705 |
| 2012–13 | 3,220 |
| 2013–14 | 4,415 |
| 2014–15 | 3,245 |
| 2015–16 | 3,345 |
| 2016–17 | 4,585 |
| 2017–18 | 5,205 |
| 2018–19 | 2,555 |
| 2019–20 | 1,400 |

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** -- उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जयरामनगर का दिनांक 13/08/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रकीग ऑफ क्वारी एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 778/खनि/चू.प./उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2835/ख.लि./न.क्र./2021 बिलासपुर, दिनांक 16/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.666 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु क्रोमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2834/ख.लि./न.अ./2021 बिलासपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री मनमोहन शर्मा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 25/01/2020 को श्री त्रिलोक चंद शर्मा के नाम पर किया गया है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/08/1994 से 21/08/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टिकनपाल 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–जयरामनगर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। अरपा नदी 6 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,36,587 टन, माईनेबल रिजर्व 21,000 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 18,900 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 5,250 |
| द्वितीय वर्ष | 5,250 |
| तृतीय वर्ष | 5,250 |
| चतुर्थ वर्ष | 5,250 |

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के 2,080 वर्गमीटर क्षेत्र में 15.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:—

"Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 38 | 2% | 0.72 | Following activities at Government Primary School, **Village – Khaira Jairamnagar** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation with fencing | 0.20 |
| | | | **Total** | **0.80** |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को

(क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1020/ख.लि./न.क्र./2021 बिलासपुर, दिनांक 23/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.666 हेक्टेयर है।

2. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में वर्षा होने के कारण से खदान में 15–20 फीट तक वर्षाजल का भराव हो गया है। अतः 3 माह पश्चात् उक्त संग्रहित जल के निकासी होने पर पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर 180 नग वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. रिवाईज्ड स्कीम ऑफ क्वारी एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1254/खनि/चू.न./उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,78,162 टन, माईनेबल रिजर्व 21,000 टन एवं स्क्रिप्हरेबल रिजर्व 18,900 टन है।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत जयरामनगर का दिनांक 16/07/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1020/ख.नि./न.क./2021 बिलासपुर, दिनांक 23/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.666 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जयरामनगर) का रकबा 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जयरामनगर) को मिलाकर कुल रकबा 3.475 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जयरामनगर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री त्रिलोक चंद्र शर्मा) की ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 774/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर, क्षमता – 5,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य 4 माह के भीतर पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत की जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स जयरामनगर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री त्रिलोक चंद्र शर्मा) की ग्राम–जयरामनगर, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 774/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर, क्षमता – 5,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**34. मेसर्स श्री राजाराम सिंह (टी–1, सल्का सेण्ड माईन), ग्राम–सल्का, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1531)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 194255/2021, दिनांक 23/01/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सल्का, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 356, कुल क्षेत्रफल–3.55 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अटेम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर आदि) की जानकारी जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेव्हल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल राजवाड़े, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सलका का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ.क्रमांक/80/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021/सूरजपुर/155, दिनांक 14/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021/सूरजपुर/155, दिनांक 14/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, एनीकट मंदिर गिरिजाघर, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री राजाराम सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक /1118/ गौ.ख.रे./रि.ऑ./न.क.30/2020 सूरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./4601 सूरजपुर, दिनांक 23/11/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सलका 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–सलका 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 60 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई -- अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 68 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई — अधिकतम 1025 मीटर, न्यूनतम 1015 मीटर एवं चौड़ाई — अधिकतम 42 मीटर, न्यूनतम 27 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** — आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई — 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा — 71,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 24/11/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 26.27 | 2% | 0.52 | Following activities at Nearby Government Primary School Mudaapara, Village- Salka | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation | 0.15 |
| | | | **Total** | **0.75** |

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदन एवं माईनिंग प्लान में दिये गये को-ऑर्डिनेट्स के अनुसार प्रस्तावित लीज क्षेत्र नदी

तट से बाहर स्थित होना प्रतिपादित हो रहा है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित लीज क्षेत्र की बाउण्ड्री को KML File में प्रदर्शित कर, प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र की बाउण्ड्री को KML File में प्रदर्शित कर, प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर द्वारा दिनांक 11/07/2021 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार अक्षांश एवं देशांश को नक्शे में प्रदर्शित करते हुए, खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अटेम नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:** –

1. आवेदित खदान (ग्राम—सल्का) का रकबा 3.55 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,700 नग पौधे – 850 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 850 नग (जामुन, करंज, बास, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** —

i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स सल्का सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राजाराम सिंह), खसरा क्रमांक 358, ग्राम-सल्का, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.55 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. आवेदक द्वारा प्री-मानसून 2021 का सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स सल्का सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राजाराम सिंह), खसरा क्रमांक 358, ग्राम-सल्का, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.55 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**36. मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार साहू (कागदेही सेण्ड माईन), ग्राम-कागदेही, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1589)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 199637/2021, दिनांक 23/02/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कागदेही, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2400, कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   - i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत कागदेही के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 2400, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता– 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 28/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   - ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत कागदेही को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री जितेन्द्र कुमार साहू के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
   - iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
   - iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
   - v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कागदेही का दिनांक 21/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1109/खनि02/रेत/उ.यो.अनु./न.क.01/2021 नवा रायपुर, दिनांक 22/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1238/खनि/न.क./2021 रायपुर, दिनांक

03/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1238/खनि/न.क./2021 रायपुर, दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री जितेन्द्र कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./खनि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 23/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष (दिनांक 24/10/2019 से दिनांक 23/10/2021) हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कागदेही 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–कागदेही 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 23 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 688 मीटर, न्यूनतम 630 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 268 मीटर, न्यूनतम 266 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 197 मीटर, न्यूनतम 197 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 145 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 04/02/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 61.89 | 2% | 1.24 | Following activities at Nearby Government Primary School **Village- Kagdehi** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Solar Power System for Light | 0.75 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.15 |
| | | | **Total** | 1.25 |

15. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(रा) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक

गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग को प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 4 मीटर है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/06/2021 द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2019–20 | 22,000 |
| 2020–21 | 41,000 |

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–कागदेही) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,500 नग पौधे – 1,750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्डो ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कागदेही सेण्ड माईन (प्रो.- श्री जितेन्द्र कुमार साहू), खसरा क्रमांक 2400, ग्राम–कागदेही, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स कागदेही सेण्ड माईन (प्रो.– श्री जितेन्द्र कुमार साहू), खसरा क्रमांक 2400, ग्राम–कागदेही, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**36. मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 939)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/40712/2019, दिनांक 06/08/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नाम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/40712/2019, दिनांक 10/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28, कुल क्षेत्रफल – 1.235 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 19,629 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/02/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोपराइटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – खदान के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोली का दिनांक 20/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान एण्ड क्वारी थ्रूपुट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 662/खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 10/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1046/खनिज/खनि.1/स.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 15.771 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 4 खदानें, क्षेफल 4.246 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 881/खनिज/ख.लि.3/ई–टेण्डर/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 29/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5239/ख.ने02/ख.ख. अनुविभाग/सक्र. 50/2017 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात् 18/03/2020 तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता बढ़ाने बाबत् संचालक संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 32/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा) सरगुजा के पत्र दिनांक 20/03/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निवासी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12,**

दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला सरगुजा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" लेना बताया गया है

7. **भू-स्वामित्व** - भूमि खसरा क्रमांक 25/119 श्री प्रदीप, श्री अशोक, श्री सुरेश, श्री सुरेन्द्र, सुश्री उर्मीला, सुश्री प्रतिमा एवं खसरा क्रमांक 25/120 खसरा क्रमांक श्री सुशील तथा खसरा क्रमांक 25/28 सुश्री अलबिना के नाम से है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4587 अम्बिकापुर, दिनांक 29/08/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 0.5 कि.मी. एवं राजपुर 10 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम चगोरि 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.3 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.[illegible] कि.मी. दूर है। गागर नदी 0.44 कि.मी., मौसमी नाला 0.63 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 8,32,937 टन, माइनेबल रिजर्व 2,07,328 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,86,593 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी रैम्प पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,127 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,111.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,660 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को स्वामित्व प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 16,675 | छठवें | 17,887 |
| द्वितीय | 18,000 | सातवें | 18,731 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| तृतीय | 18,354 | ऊपरी | 19,264 |
| चतुर्थ | 18,765 | नीचे | 19,629 |
| पंचम | 18,360 | दक्षिणे | 18,927 |

नोटः तालिका में उपमण्डल के कुल के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13 **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14 **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 870 नग एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 360 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16 **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** –

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 दिसम्बर, 2019 से 15 मार्च, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन 6 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.6 से 38 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.4 से 89.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.31 से 9.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{x}$ 12.4 से 20.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 46.6 डीबीए से 49.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.6 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

17 लोक सुनवाई दिनांक 09/04/2021 को 11:00 बजे स्थान – पंचायत भवन, बंगोली, तहसील–लुण्ड्रा, जिला सरगुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र दिनांक 09/06/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वाहनों के परिवहन से प्रदूषण होगा इस हेतु जल छिड़काव किया जाना चाहिए

ii. स्कूलों में जल की व्यवस्था नहीं है.

iii. प्राथमिकता के आधार पर जनप्रतिनिधि ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

ii. सी.ई.आर. के तहत स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय हेतु जल व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों की योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान–** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती है। वर्तमान में 4 खदान को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं 2 खदानों की लीज की अवधि समाप्त हो गई है। शेष 16 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु बोलि ली जा रही है। अतः क्लस्टर ने सामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड में उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 5.55 कि.मी. पाकिंग स्थलों एवं 4.45 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 4,95,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गाव के (5.66 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (3,700 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 16,57,620/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 3,00,000/– प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 2,89,500/– तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 1,80,000/– व्यय की जाएगी।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/पहुँच मार्ग (4.45 कि.मी. तक) के संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. स्थानीय संस्थाओं के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 75,18,020/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 28,12,520/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय

रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 12,63,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 12,44,500/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 11,35,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 8,55,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 0.5 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. खदान के माईन बाउण्ड्री में (870 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 3,13,492/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 2,03,850/– प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 1,99,500/– तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 90,000/– व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 40,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (0.5 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. खदान के श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु अनुमानित राशि 60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VI. माईन गेट हेतु अनुमानित राशि 15,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 27,25,692/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 6,68,492/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है;

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), खदान के श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 5,43,950/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), खदान के श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 5,39,500/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), खदान के श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 4,30,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 2,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:--

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 39.5 | 2% | 0.79 | Following activities at Government Middle School, | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Village-Changori | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.32 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC | 0.20 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.15 |
| | | | Plantation with fencing | 0.15 |
| | | | **Total** | **1.82** |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु समस्त खदानों का सहमति पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. स्कूल में पेयजल की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त निधि के साथ, संशोधित सी.ई.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)** |
| 39.5 | 2% | 0.79 | Following activities at Government Middle School, Village-Changori | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.32 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC | 0.37 |
| | | | Installation of 2 Water Tank of 1000 Liter each and electric Pump, Fitting & Plumbing | 1.00 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.05 |
| | | | **Total** | **2.74** |

2. आवेदित खदान की कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में वृक्षारोपण कार्य हेतु शासकीय दर पर वन विभाग, सूरजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये एस्टीमेशन के आधार पर क्लस्टर की पांच वर्षीय संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 5.55 कि.मी. ग्रामीण सड़कों एवं 4.45 कि.मी. तक पहुँच मार्गो हेतु अनुमानित राशि 4,95,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (5.55 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (3,700 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 18,94,155/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 3,10,555/– प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 2,92,055/- तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 1,60,000/– व्यय की जाएगी।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4.45 कि.मी. तक) के संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/ - प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

VIII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यो हेतु प्रथम पांच वर्षो में कुल राशि 77,62,320/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 28,49,155/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 12,85,555/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 12,47,055/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 11,35,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 9,55,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

3. आवेदित खदान की संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान को क्लस्टर में आने वाले सदस्यों द्वारा सम्मिलित रूप से चूना पत्थर खदान / क्रेशर संघ सरगुजा की देख–रेख में अनुपालन हेतु आश्वासन के संबंध में, अध्यक्ष क्रेशर संघ द्वारा दिनांक 31/07/2021 को जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1046/खनिज/खनि.1/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 11/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 22 खदानें, क्षेत्रफल 20.017 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) का रकबा 1.235 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) को मिलाकर कुल रकबा 21.252 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल) के ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा,

जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.235 हेक्टेयर, क्षमता – 19,629 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल) की ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.235 हेक्टेयर, क्षमता – 19,629 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानों में से 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि क्लस्टर में आने वाले अन्य खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली 19 खदानों को भी शामिल करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से 03 माह के भीतर उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान अनुसार 19 खदानों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**37. मेसर्स धंधापुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री संजय कुमार अग्रवाल), ग्राम–धंधापुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1716)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 217092/ 2021, दिनांक 29/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–धंधापुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 24, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,760.3 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रहमानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धंधापुर का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 851/खनिज/2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 331/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 329/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 309/गौण खनिज/रेत नीलामी/2021 बलरामपुर, दिनांक 18/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धंधापुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–धंधापुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 148.4 मीटर, न्यूनतम 136.5 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 579 मीटर, न्यूनतम 577.2 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 104

मीटर, न्यूनतम 71.4 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 39.4 मीटर, न्यूनतम 6.8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 99,760 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.57 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 51 | 2% | 1.0 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Dhandhapur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation with fencing | 0.43 |
| | | | Total | 1.03 |

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौडाई अधिकतम 148.4 मीटर, न्यूनतम 136.5 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 39.4 मीटर, न्यूनतम 6.8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 119.85 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.843 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक

दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल राजपुर के ज्ञापन क्रमांक/2020/939 राजपुर, दिनांक 30/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 2 कि.मी. एवं वन अभयारण्य से 30 कि.मी. की दूरी पर है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–धंधापुर) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी 2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**
   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स धंधापुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री संजय कुमार अग्रवाल), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 24, ग्राम–धंधापुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 119.85 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.843 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स धंधापुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री संजय कुमार अग्रवाल), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 24, ग्राम–धंधापुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 119.85 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.843 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**38. मेसर्स नरसिंहपुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री विजय कुमार शर्मा), ग्राम–नरसिंहपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1717)**

**ऑनलाईन आवेदन** - प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 217146/2021, दिनांक 29/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–नरसिंहपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 44, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया

जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,277.82 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

विधानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 28/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नरसिंहपुर का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 788/खनिज/ए.यो.अनु./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 326/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 324/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विजय कुमार शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 251/गौण खनिज/रेत नीलामी/2021 बलरामपुर, दिनांक 06/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नरसिंहपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–नरसिंहपुर 2 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 12.5 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.6 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 214.6 मीटर, न्यूनतम 114.9 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 810.5 मीटर, न्यूनतम 802.1 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 71.3 मीटर, न्यूनतम 42.1 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी न्यूनतम 7 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी न्यूनतम 46.8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 93,277.62 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.57 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 51 | 2% | 1.0 | Following activities at Nearby Government Middle School, **Village- Narsinghpur** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation with fencing | 0.43 |
| | | | **Total** | **1.03** |

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** — नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 214.6 मीटर, न्यूनतम 114.9 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी न्यूनतम 7 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी न्यूनतम 46.8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,361.19 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.66 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल राजपुर के ज्ञापन क्रमांक/2020/991 राजपुर, दिनांक 30/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3 कि.मी. एवं वन अभयारण्य से 30 कि.मी. की दूरी पर है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—**

1. आवेदित खदान (ग्राम—नरसिंहपुर) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे — 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही

आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स नरसिंहपुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री विजय कुमार शर्मा), खसरा क्रमांक 44, ग्राम–नरसिंहपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3,361.19 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.66 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 46,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स नरसिंहपुर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री विजय कुमार शर्मा), खसरा क्रमांक 44, ग्राम–नरसिंहपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3,361.19 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.66 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 46,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**39. मेसर्स परसवारकला सेण्ड माईन (प्रो.– श्री घुरन मरावी), ग्राम–परसवारकला, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1705)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 215024/2021, दिनांक 12/06/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–परसवारकला, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 726, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 96,876.76 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रहमानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि तकनीकी समस्या होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 30/07/2021 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घुरन मरावी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसवारकला का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 785/खनिज/उ.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 322/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 320/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 253/गौण खनिज/रेत नीलामी/2021 बलरामपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–परसवारकला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–परसवारकला 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 138.8 मीटर, न्यूनतम 117.9 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 469.4 मीटर, न्यूनतम 467.1 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 117.8 मीटर, न्यूनतम 103.7 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 14.4 मीटर, न्यूनतम 5.8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 96.876 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.57 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13 **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रेड बिन्दुओं पर दिनांक 06/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14 **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार से बचे उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 51 | 2% | 1.0 | Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Paraswarkala | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation with fencing | 0.43 |
| | | | Total | 1.03 |

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 138.8 मीटर, न्यूनतम 117.9 मीटर है, जबकि खनन की नदी पाट के किनारे से पूरी अधिकतम 14.4 मीटर, न्यूनतम 5.8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी पाट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, चिन्हांकित 1,261.62 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का लक्ष्य खदान के अवशेष 4.943 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एक्सेलोन प्रस्तावक को लौह सोना से निकटतम वन क्षेत्र एवं आवासीय/राष्ट्रीय स्मारक की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा स्टाफ, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/2020/992 रायपुर, दिनांक 30/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण

पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3.7 कि.मी. एवं वन्यजीव से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं गहराई का कार्य लीजधारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मछान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खनन (कुल परिसरकता) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खनन की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गई।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वहनन मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में मार्जिनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मैसर्स परसावरकला सैण्ड माईन (प्रो.– श्री धुरन मरावी), खसरा क्रमांक 726, ग्राम–परसावरकला, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1.181 62 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने 4.843 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000

घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी, रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) को लीकिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से लाइन सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स परसवारकला सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पुरन परवी), खसरा क्रमांक 726, ग्राम–परसवारकला, तहसील–राजपुर, जिला–पलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1,161.62 वर्गमीटर क्षेत्र को कम करते 4.843 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3 **पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता (पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन), ग्राम–पेण्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 720)**

**आवेदन** – पूर्व में प्रयोजन नाम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 63790/2018, दिनांक 09/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/07/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2018 द्वारा प्रकरण बी1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट दिनांक 09/06/2021 को प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा आवेदक – मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता (पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन) की ग्राम–पेण्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11

एवं 269 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल 6.683 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृहिष्ठ खसरा क्रमांक 254/8 एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में ग्राम–पेण्ड्रीडीह के स्थान पर ग्राम नरदहा में संशोधन चाहा गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, जारी टी.ओ.आर. पत्र एवं फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, एल.ओ.आई., अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं तत्पश्चात किये गये प्रस्तुतीकरण में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में तकन वृहिष्ठ ग्राम पेण्ड्रीडीह के स्थान पर ग्राम–नरदहा का उल्लेख ही गया है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स बॉकल स्टोन गोल्डिंग सेण्ड माईन (श्रीमती अर्चना दास), ग्राम बॉकल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 574)**

**आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 63693/2017, दिनांक 03/04/2017 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/07/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2017 द्वारा आवेदक मेसर्स बॉकल स्टोन गोल्डिंग सेंड माईन (श्रीमती अर्चना दास) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 106, ग्राम–बॉकल, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में गोल्डिंग सेण्ड उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 10,000 टन प्रतिवर्ष (5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में गोल्डिंग सेण्ड का उत्खनन "मैन्युअल विधि" से किये जाने के स्थान पर "मेकेनाईज्ड ओपन कास्ट विधि" से किये जाने हेतु संशोधन के परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं-

1. गोल्डिंग सेण्ड का उत्खनन मेकेनाईज्ड ओपन कास्ट विधि द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसका उल्लेख भी प्रस्ताव के पैरा 11 में है। परंतु स्वीकृत आदेश में सम्मिलित शर्त के पैरा 6 में यह निर्देश है कि "गोल्डिंग रोड को

खुदाई एवं गहराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जायेगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा।"

2. निर्धारित समयावधि में खनन कार्य आरंभ नहीं होने के कारण यह खदान व्यपगत घोषित हो गई थी, जिसे राज्य शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 14/10/2020 द्वारा पुनर्जीवित किया गया है।

3. मोल्डिंग सेण्ड एक मुख्य खनिज है। अतः मुख्य खनिज मोल्डिंग सेण्ड को गौण खनिज साधारण रेत के समकक्ष मान्य किया जाना उचित नहीं है।

4. मुख्य खनिज मोल्डिंग सेण्ड का खनन पट्टा (Mining Lease) स्वीकृत होता है एवं इसका परिचालन मुख्य खनिज संबंधी सभी नियम/अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया जाता है।

5. मोल्डिंग सेण्ड को फाउंड्री सेण्ड भी कहा जाता है एवं इसका उपयोग इस्पात संयंत्रों में मोल्ड में भरने के लिए किया जाता है। स्पष्ट है कि मोल्डिंग सेण्ड का उपयोग विशेष कार्यों में ही किया जाता है।

6. गौण खनिज साधारण रेत के लागू शर्तों/नियमों को मोल्डिंग सेण्ड के खनन पट्टा पर लागू करने से, जो नियम स्पष्ट भी नहीं है, मोल्डिंग सेण्ड के खनन एवं विपणन में कठिनाई हो रही है एवं खनन कार्य प्रभावित हो रहा है। इस हेतु भारतीय खान ब्यूरो को प्रेषित किये जाने वाले मासिक पत्रक की प्रतियां संलग्न की गई हैं।

7. अतः जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पर पुनर्विचार करते हुये मोल्डिंग सेण्ड का उत्खनन "मैन्युअल विधि" से किये जाने के स्थान पर "मेकेनाईज्ड अपेन कास्ट विधि" से उत्खनन की अनुमति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में नदी से रेत उत्खनन का कार्य मैन्युअल विधि से किये जाने की ही अनुमति पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जा रही है, रेत एवं मोल्डिंग सेण्ड का उत्खनन नदी से किया जाता है। अतः मोल्डिंग सेण्ड का उत्खनन मैन्युअल विधि के स्थान पर "मेकेनाईज्ड अपेन कास्ट विधि" से किये जाने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**3. मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री विनोद कुमार जैन), ग्राम -इंदरपुर, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1570)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एनआईएन /199824/2021, दिनांक 25/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/08/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 573, दिनांक 25/06/2021 द्वारा आवेदक – मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विनोद कुमार जैन) को ग्राम इंदरपुर, तहसील–कसना, जिला–नवागढ़ के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 178 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल- 0.89 हेक्टेयर, क्षमता 70,902 टन प्रतिवर्ष (2 वर्ष में कुल 86,234 टन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के नामांकरण में टंकन त्रुटि सुधार कर पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:

1. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन पर राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 573, दिनांक 25/06/2021 द्वारा मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विनोद कुमार जैन) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम संशोधन "**मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विनोद कुमार जैन)**" के स्थान पर "**मेसर्स विनोद कुमार जैन (खनन इकाई)**" किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत फॉर्म–2 में परियोजना का नाम (Name of the project(s)) में इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी का उल्लेख किया गया है। साथ ही पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ / राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ द्वारा श्री विनोद कुमार जैन (मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी) के नाम से प्रस्तावित किया गया था। तत्समय उनके द्वारा इस बाबत् कोई आपत्ति/सुधार हेतु अनुरोध नहीं किया गया था।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में "**मेसर्स विनोद कुमार जैन (खनन इकाई)**" के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज यथा एल.ओ.आई., अनुमोदित माईनिंग प्लान, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्रों, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में "**खनन इकाई**" का उल्लेख नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

(पी.एल.टोप्पो)

4. **मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विनोद कुमार जैन), ग्राम–इंदरपुर, तहसील–बरना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1571)**

**आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीसी /एमआईएन /200054/2021, दिनांक 25/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/08/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 571, दिनांक 25/06/2021 द्वारा आवेदक – मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विनोद कुमार जैन) की ग्राम–इंदरपुर, तहसील–बरना, जिला–महासमुंद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 178 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 2,19,160 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल 2,78,795 टन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के नामकरण में टंकण त्रुटि सुधार कर पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि–

1. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन पर राज्य स्तर पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 571, दिनांक 25/06/2021 द्वारा मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विनोद कुमार जैन) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम संशोधन **"मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो. – श्री विनोद कुमार जैन)"** के स्थान पर **"मेसर्स विनोद कुमार जैन (खनन इकाई)"** किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत फॉर्म 2 में परियोजना का नाम (Name of the project(s)) में इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी का उल्लेख किया गया है। साथ ही पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ / राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ द्वारा श्री विनोद कुमार जैन (मेसर्स इंदरपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी) के नाम से मंजूरी दिया गया था। तत्समय उनके द्वारा इस बाबत् कोई आपत्ति/सुधार हेतु अनुरोध नहीं किया गया था।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में **"मेसर्स विनोद कुमार जैन (खनन इकाई)"** के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज यथा एल.ओ.आई., अनुमोदित माईनिंग प्लान, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में "खनन इकाई" का उल्लेख नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4 परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरण पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

**1. मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला रायपुर**

ऑनलाईन आवेदन प्रपोजल नम्बर एसईआईए / सीजी / आईएन्डी / 215054 / 2021, दिनांक 22 / 06 / 2021।

**प्रस्ताव का विवरण :–**

1. मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) द्वारा मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला रायपुर के टी.एम.टी. बार्स रोलिंग मिल क्षमता – 24,000 टन प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त रोलिंग मिल क्षमता 1,07,000 टन प्रतिवर्ष (कुल क्षमता 1,31,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) के नाम से करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 291/SEIAA-CG/EC/Rolling Mill/RYP/16/09 रायपुर दिनांक 23 / 10 / 2009 द्वारा मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), प्लाट नं. 686–693, 716–722, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला रायपुर के टी.एम.टी. बार्स रोलिंग मिल क्षमता – 24,000 टन प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त रोलिंग मिल क्षमता – 1,07,000 टन प्रतिवर्ष (कुल क्षमता 1,31,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला रायपुर का हस्तांतरण मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) के नाम से होने का उल्लेख करते हुए पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 291/SEIAA-CG/EC/Rolling Mill/RYP/16/09 रायपुर दिनांक 23 / 10 / 2009 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम से हस्तांतरित करने बाबत् अनुरोध किया गया है। उद्योग द्वारा बताया गया है कि मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 4) का अधिग्रहण मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) द्वारा कर लिया गया है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :–

   i. मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), प्लाट नं. 686–693, 716–722, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला रायपुर के टी.एम.टी. बार्स रोलिंग मिल क्षमता – 24,000 टन प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त रोलिंग मिल क्षमता – 1,07,000 टन प्रतिवर्ष (कुल क्षमता 1,31,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

   ii. सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) के नाम से प्लाट नं. 688, 689, 690, 691, 692, 693, 716, 717, 718, 719, 720 तथा 721 कुल क्षेत्रफल 2.6314 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला रायपुर को दिनांक 09 / 08 / 2018 को संपादित लीज डीड (दिनांक 11 / 01 / 2019 को पुनर्संपादित लीज डीड) को मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) से परिवर्तित कर मेसर्स

ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) करने बाबत् दिनांक 29/09/2020 को संपादित संशोधित लीज डीड की प्रति।

iii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के आदेश दिनांक 12/12/2018 द्वारा मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) की सारी जल एवं वायु सहमति को मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4), प्लाट नं. 688 – 693, 716 – 722, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर के नाम पर परिवर्तित करने बाबत् पत्र की प्रति।

iv. न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प रायपुर के प्रकरण क्रमांक 21/क–103/2020–21 दिनांक 03/01/2021 को जारी आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार मेसर्स ईश्वर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) के नाम से पूर्व पंजीकृत विक्रय विलेख में कंपनी का नाम एवं यूनिट मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) किया गया है।

v. मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 688–693, उरला इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रायपुर तथा मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) प्लाट नं 688–693 उरला इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रायपुर के मध्य प्लांट एण्ड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग, स्टोरेज टैंक, फैक्ट्री शेड एवं बिल्डिंग तथा बाउण्ड्री कुल रू. 3,12,21,100/– में क्रय करने बाबत् संपन्न एग्रीमेंट की प्रति

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 23/06/2021 को संपन्न 111वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गलती दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं तदोपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि परिवेदना प्रस्तावना से निम्नानुसार दस्तावेज मंगाया जावे:–

1. मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) द्वारा प्लाट नं. 688, 689, 690, 691, 692, 693, 716, 717, 718, 719, 720 तथा 721 कुल क्षेत्रफल 2.6314 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर में स्थित उद्योग के प्लांट एण्ड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग, स्टोरेज टैंक, फैक्ट्री शेड एवं बिल्डिंग तथा बाउण्ड्री आदि को मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) को विक्रय करने बाबत् सेल डीड की प्रति

2. मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 में वर्णित संपत्ति (उद्योग) का अधिग्रहण मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) द्वारा करने बाबत् सेल डीड/अधिग्रहण पत्र की प्रमाणित दस्तावेज

3. मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), प्लाट नं. 688–693, 716–722, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर को टी.एम.टी. बार रोलिंग मिल क्षमता 24,000 टन प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त रोलिंग मिल क्षमता – 1,07,000 टन प्रतिवर्ष (कुल क्षमता 1,31,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) एवं मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम अस्तांतरित करने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र

4. उपरोक्त वर्णित पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम अस्तांतरित करने बाबत् मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

5. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर द्वारा मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), प्लाट नं. 688–693, 716-722, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर से नाम परिवर्तित कर मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 4) एवं पुन परिवर्तन मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम से करने बाबत् अनुमति पत्र।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परिवेशगत प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि–

1. मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लाट नं. 688, 689, 690, 691, 692 एवं 693 औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर में स्थित उद्योग के प्लांट एण्ड मशीनरी, एवं अन्य सिविल स्ट्रक्चर को मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) को विक्रय करने बाबत् दिनांक 28/08/2018 की सेल डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 688–693, 716–722 औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर में स्थित उद्योग के प्लांट एण्ड मशीनरी, एवं अन्य सिविल स्ट्रक्चर को मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-4) को विक्रय करने बाबत् दिनांक 03/01/2019 की Tax Invoice की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 में वर्णित संपत्ति (उद्योग) का अधिग्रहण मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) द्वारा करने बाबत् प्रमाणित दस्तावेज के रूप में Tax Invoice की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), प्लाट नं. 688 693, 716 722, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर द्वारा उनको टी.एम.टी. बार्स रोलिंग मिल क्षमता – 24,000 टन प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त रोलिंग मिल क्षमता – 1,07,000 टन प्रतिवर्ष (कुल क्षमता 1,31,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) एवं मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम हस्तांतरित करने बाबत् दिनांक 20/06/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. उपरोक्त वर्णित पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम हस्तांतरित करने बाबत् मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–4) का दिनांक 20/06/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

5. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर द्वारा मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी. प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम से उत्पादन other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked then forged, hot-rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after rolling, n.e.c. क्षमता – 1,31,000 टन हेतु जारी पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की गई है, करने बाबत् अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर मेसर्स जी.पी. इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1), उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स ईश्वर टी.एम.टी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–1) के नाम एवं हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

2. **मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 215050/2021, दिनांक 12/06/2021

**प्रस्ताव का विवरण –**

1. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर–जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के क्षमता विस्तार के तहत् कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को लघ्रोन के जी मर्जर होने के कारण मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरण करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 201/SEIAA-CG/EC/11/RGH/270/11 रायपुर दिनांक 20/11/2012 द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर–जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को क्षमता विस्तार के तहत् कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर–जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की क्षमता विस्तार के तहत् कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रयोजन के जी मर्जर होने के कारण मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरण करने बाबत् आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :–

   i. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर–जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को क्षमता विस्तार के तहत् कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति

ii. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ को रायगढ़ ईकाई के आर.एस. इस्पात लिमिटेड का आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राईवेट लिमिटेड में डी–मर्जर किये जाने की सूचना पत्र की प्रति

iii. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) कोलकाता बेंच द्वारा उद्योग के डी–मर्जर स्कीम हेतु आदेश दिनांक 09/05/2019 की प्रति।

iv. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 6300/TS/CECB/2018 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27/11/2018 (वैधता दिनांक 31/12/2023 तक) द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की प्रति।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज मंगाया जाये:–

1 मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को क्षमता विस्तार के साथ कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड के नाम नामांतरित करने बाबत् मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

2. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर–जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के नाम परिवर्तित कर मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड के नाम करने बाबत् अनुमति पत्र की प्रति।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है :

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:

1. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर–जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को क्षमता विस्तार के साथ कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड के नाम नामांतरित करने बाबत् मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड के पत्र दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर–जी, जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के नाम परिवर्तित कर मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड के नाम करने बाबत् अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं करते हुए उद्योग

प्रकाशन द्वारा दिनांक 25/06/2019 को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में आवेदन किया जाना बताया गया है।

3 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार:–

I. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड एवं मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड के डॉयरेक्टर्स समान (Same) हैं.

II. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) कोलकाता बेंच द्वारा उद्योग के डी मर्जर स्कीम हेतु आदेश दिनांक 09/05/2019 को जारी की गई है।

III. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड से नाम परिवर्तित कर मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड करने बाबत अनुमति पत्र की प्रति 03 माह के भीतर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित करने बाबत उल्लेख किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया** कि उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 162, 164 एवं 166, सेक्टर-जी, सिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को "मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड" के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड से नाम परिवर्तित कर मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड करने बाबत् अनुमति पत्र की प्रति 03 माह के भीतर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।"

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन हेतु पत्र जारी किया जाए।

3. **मेसर्स कन्हनपुरी ब्लैक ग्रेनाईट माईन (प्रो.– श्री विमल लुनिया), ग्राम–कन्हनपुरी, तहसील–नरहरपुर, जिला–उ.ब.कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1529)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42074/2019, दिनांक 18/10/2019 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /60087/2019, दिनांक 22/01/2021 द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित ब्लैक ग्रेनाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कन्हनपुरी, तहसील–नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल – 1.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता 3,766.5 टन (1,395 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2020 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना क्र. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2016 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) के स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 22/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है

**बैठकों का विवरण —**

**(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल जुनेजा, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मैसर्स इण्डियन माईन प्लान्नर्स एण्ड कन्सालटेन्ट की ओर से श्री जन्मोहन कुमार वर्मा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुन्डनपुरी का दिनांक 32/01/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — सेकेण्ड रूलिंग ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्र.), संचालनालय, भूविज्ञान तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1595/एसएसी/एमपी/एक नंबर—05/2015 अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 624(बी)/खनिज/उ.ब./2020—21 कांकेर, दिनांक 10/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 624(ए)/खनिज/उ.ब./2020—21 कांकेर, दिनांक 10/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है

5. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनक्षेत्रपाल अधिकारी नरसिंहपुर, वनक्षेत्र नरसिंहपुर के ज्ञापन क्रमांक लेखा/2019/1376, नरसिंहपुर, दिनांक 08/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. **लीज का विवरण** -- लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है, लीज लीज 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 02/11/1998 से 01/11/2008 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/11/2009 से 01/11/2028 तक की अवधि हेतु किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम–कन्हनपुरी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** -- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जियोलॉजिकल रिजर्व 3,42,700 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 1,93,156 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,15,893 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल 4,580 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर से अधिक है। वर्तमान उत्खनन योजना के तहत 24 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर होगी। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,300 घनमीटर है। खदान की संभावित आयु 03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, डोजर–शॉवल एवं एक्सकेवेटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2019–20 | 943 |
| 2020–21 | 1,125 |
| 2021–22 | 1,125 |
| 2022–23 | 1,143 |
| 2023–24 | 1,395 |

11. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टेंकर के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,500 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवहन मार्ग में भी वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. इस खदान के पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 624(सी)/खनिज/ख.ग./2020 2' कांकेर, दिनांक 13/09/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2016–17 | 768.21 |
| 2017–18 | 884.9 |
| 2018–19 | 224.202 |
| 2019–20 | निरंक |

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 28.12 से 42.15 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 65.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर एसओ$_2$ 9.08 से 14.29 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{(x)}$ 10.46 से 20.23 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय स्थल के आस्पास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.04 डीबीए से 48.9 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 39.3 डीबीए पाया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 30.52 | 2% | 0.61 | Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Kanhanpuri** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.80 |
| | | | Running Water Facility for Boys & Girls Toilets | 0.10 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.10 |
| | | | **Total** | **1.00** |

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

17 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना:

I परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है.

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 4,474.73) / 3,766.5 = 297

Environment Compensation = 80x297x100x0.5x0.5 = Rs. 5,94,000/-

= say Rs. 6,00,000/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 19/05/2020 को संख्या 372वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेनेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 6,00,000 की गणना को मान्य किया गया

II परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 6,00,000/- रुपये का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार (1) शासकीय माध्यमिक विद्यालय, कन्हनपुरी (2) शासकीय माध्यमिक विद्यालय, बुड़ेली एवं (3) शासकीय प्राथमिक विद्यालय, मरकाटोला में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, ड्रिंकिंग वॉटर फेसेलिटी, पीने योग्य पानी, वृक्षारोपण एवं सोलर पावर की व्यवस्था की जाएगी। उक्त कार्य 3 माह के भीतर किया जाना बताया गया है

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—धमतरी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 624(बी)/खनिज/ल.प./2020-21 दिनांक, दिनांक 10/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम- कल्याणपुरी) का रकबा 1.87 हेक्टेयर है। प्रकरण उत्सर्जन की श्रेणी का होने के कारण यह खदान बी—1 श्रेणी की मानी गयी।

2 Environment Compensation Plan के अंतर्गत निर्धारित कार्य को 04 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – श्री विमल लुनिया (मेसर्स कन्हनपुरी ब्लैक ग्रेनाईट माईन) की ग्राम–कन्हनपुरी, तहसील–नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल – 1.87 हेक्टेयर, ब्लैक ग्रेनाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,766.5 टन (1,395 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संपन्न 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी नरहरपुर, परिक्षेत्र नरहरपुर द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जबकि उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि को बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किया जाए। बैंक गारंटी की वैधता कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 109वीं बैठक दिनांक 13/05/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/06/2021 को जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2021 को संपन्न 110वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल कांकेर के ज्ञापन क्रमांक नाडि./2319/B131 कांकेर, दिनांक 14/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 6,00,000/-- रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की सूचना दी गई है। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 द्वारा बैंक गारंटी प्राप्त किये जाने की सूचना दी गई है।

3. पूर्व में प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरहरपुर, परिक्षेत्र नरहरपुर के ज्ञापन क्रमांक लेखा/2019/1373 नरहरपुर, दिनांक

06/11/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि वर्तमान में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक मा.नि./2019/8434 कांकेर, दिनांक 14/11/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को तत्समय प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ अथवा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जाकर कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरहरपुर, परिक्षेत्र नरहरपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण क्यों प्रस्तुत किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2019 का है। अतः अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र सीमा की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन जानकारी सहित कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/08/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.नि./2021/6048 कांकेर, दिनांक 14/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि** आवेदक - श्री विमल कुन्निया (मैसर्स कल्याणी ब्लैक ग्रेनाईट माईन) को ग्राम कल्याणपुरी, तहसील–नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल – 1.87 हेक्टेयर, ब्लैक ग्रेनाईट (गैर खनिज) उत्खनन क्षमता–3,766.5 टन (1,395 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"लीज क्षेत्र का रक्षा अधिकारी द्वारा किये गये चिन्हांकन (Demarkation) की पुष्टि वन विभाग से कराने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए तथा इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 — **भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 में स्पष्ट मार्गदर्शन देने बाबत्।**

विषय :– पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में स्पष्ट मार्गदर्शन देने बाबत्। (संचालक, संचालनालय भू-विज्ञान एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1238 दिनांक 10/08/2021)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 संख्या का.आ. 1533(अ) दिनांक 14/09/2006 में संशोधन अधिसूचना का.आ. 221(अ) दिनांक 18 जनवरी, 2021 द्वारा जारी किया गया है। उक्त संशोधन अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 2006 संख्या का.आ. 1533(अ) दिनांक 14/09/2006 के पैरा–9 के अंतर्गत Validity of Environmental Clearance (EC) में पैरा–9ए को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearance granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent Lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid .

संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2295 दिनांक 17/05/2021 द्वारा यह वांछा की गई थी कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक की स्थिति में जिन गौण खनिज (मिट्टी / रेत एवं अन्य) खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें उक्त अधिसूचना अनुसार क्या पर्यावरण सम्मति में अवधि विस्तार किया गया है? यदि हाँ तो कितना अवधि तक?

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 295, दिनांक 22/05/2021 द्वारा संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के अवगत कराया गया था कि:–

"उक्त संशोधित अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 स्वतः स्पष्ट है। संशोधित अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि को इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अतः 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान जिन गौण खनिज (मिट्टी / रेत एवं अन्य) खदानों को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त हो गई है, उनकी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में 1 अप्रैल, 2021 से आगे इतनी ही अवधि के लिए वृद्धि मान्य होगी, जितनी अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के कालखण्ड में सम्मिलित थी। कृपया संशोधित अधिसूचना का.आ. 221(अ) दिनांक 18/01/2021 के प्रावधानों अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।"

वर्तमान में पुनः संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4236 दिनांक 10/08/2021 द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि जिन खदानों में पर्यावरण सम्मति 31 मार्च 2021 के पश्चात् समाप्त हो रही है, उनमें उपरोक्त अधिसूचना के परिपेक्ष्य में गणना किस प्रकार की जायेगी?

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पत्र एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र.आ. 221(अ) दिनांक 18/03/2021 का अवलोकन किया गया। संशोधित अधिसूचना के पैरा 9ए अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधानिकता की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाना है, अतः स्पष्ट है कि जिन खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति 31 मार्च 2021 के पश्चात् समाप्त हो रही है, ऐसे प्रकरणों में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के कालखण्ड में बढ़ने वाली वैध अवधि के अनुसार, मंजूर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में, उतनी ही वैध अवधि की वृद्धि होना मान्य होगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से **निर्णय लिया** गया कि उपरोक्त स्पष्टीकरण से संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ को अवगत कराया जाए।

संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को यथानुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–6** **बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले की रेत खदानों में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन न करने तथा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के रेत उत्खनन व परिवहन करने हेतु शिकायत के संबंध में।**

श्री राकेश गिलहरे, मेन रोड प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 29/06/2021 के माध्यम से बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले की रेत खदानों में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन न करने तथा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के रेत उत्खनन व परिवहन करने हेतु शिकायत के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले में रेत उत्खनन एवं परिवहन हेतु विभिन्न खदानों के पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिनके अनुसार लीज धारकों को विभिन्न शर्तों का पालन करना है परन्तु उनके द्वारा किसी भी शर्त का पालन नहीं करते हुये पर्यावरण संरक्षण हेतु जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार प्रथम वर्ष में ही खदान प्रबंधन द्वारा माइनिंग के घाव को भरने हेतु 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंजा, सीसू, कदम, इमली सीसम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,200 पौधों का रोपण मौके पर किया जाएगा। परंतु किसी भी खदान प्रबंधन द्वारा पौधों का रोपण नहीं किया गया है।
3. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। परंतु सभी खदानों में उत्खनन पोकलेन, जेसीबी जैसी मशीनों (Machinery) का उपयोग करते हुये किया जा रहा है, चूंकि खदानों में श्रमिकों का उपयोग नहीं किया जाता है। अतः उनके लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सालय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था नहीं है।

4. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य आच्छादित माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाना है। परंतु रेत का परिवहन बिना तारपोलिन से ढके एवं ओवर लोड ट्रकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश तक परिवहन की जा रही है।
5. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण नहीं होने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु 24 घंटे बड़ी-बड़ी मशीनों एवं कई वाहन ट्रकों के आवागमन से ध्वनि प्रदूषण होता है।
6. रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाना है। परंतु खदान प्रबंधन के लोगों द्वारा ट्रकों को नदी के अंदर ले जाकर सीधे मशीनों से लोडिंग किया जा रहा है।
7. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाना है। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाना है। परंतु रेत का उत्खनन एवं परिवहन कार्य रात में भी किया जा रहा है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव पर कार्य किये जाना है। खदान प्रबंधन द्वारा उक्त कार्य पर कार्यवाही किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में जाँच किया जाना चाहिए।
9. इसके अतिरिक्त जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के कई शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही कई खदान समूह को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं होने के उपरांत भी उत्खनन कार्य किया जा रहा है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 11वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संबंधित जिला कलेक्टर को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय भौगोलिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को भी आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए।

संबंधित जिला कलेक्टर एवं संचालक, संचालनालय भौगोलिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–7 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

1. **मेसर्स वैजरॉग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1421)**

**ऑनलाईन आवेदन** पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएन्डी/ 57560/ 2020, दिनांक 18/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 274331/2021, दिनांक 11/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** -- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–चिराईपानी एवं पाली तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 17, 19, 20/1, 20/2, 27, 29, 31/2, 31/3, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7 एवं 86, कुल क्षेत्रफल - 15.327 हेक्टेयर में स्पंज आयरन प्लांट (2x95 टीपीडी डीआरआई किलन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इन्डक्शन फर्नेस (5x12 टन) (एमएस बिलेट्स/इंगोट्स), क्षमता 1,98,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (2x300 टीपीडी) (टीएमटी बार/स्ट्रक्चरल स्टील/रोल्ड प्रोडक्ट) क्षमता – 1,92,000 टन प्रतिवर्ष,

पॉवर प्लांट -- 20 मेगावाट (डब्ल्यू.एच.आर.बी. बेस्ड (2x12 टी.पी.एच) – 5 मेगावाट एवं एफ.बी.सी.बेस्ड (1x72 टीपीएच) -- 15 मेगावाट) के टी.ओ.आर. में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है।

पूर्व में एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/02/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर/इंडस्ट्रीज रिव्यालरिंग इनायरमेंट क्लीयरेंस एण्ड ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(डी) थर्मल पॉवर प्लांट्स एवं श्रेणी 3(ए) केमिकल इन्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लाल सुन्याई सहित) जारी किया गया। तत्पश्चात् एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील बरघोड़ा, जिला–रायगढ़" के स्थान पर "**ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील व जिला–रायगढ़**" किये जाने के लिये जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित फॉर्म–1 एवं प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना के कार्यक्षेत्र में एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अन्यत्र प्रकाशन नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि ग्राम–चिराईपानी एवं पाली स्थित खसरा क्रमांक 17, 19, 20/1, 20/2, 27, 29, 31/2, 37/3, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7 एवं 95, कुल क्षेत्रफल -- 15.527 हेक्टेयर की भूमि, तहसील–रायगढ़ के अंतर्गत अपने संबंधी प्रमाणिक जानकारी/डाक्यूमेंट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(सुब्रत साहू)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(योगी लाल रात्रे)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़